सत्यमेव जयते

TRAI

गतिविधियों पर रिपोर्ट

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

गतिविधियों पर रिपोर्ट

(1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019)

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली-110002
टेलिफोन : +91-11-23664147
फेक्स नं० : +91-11-23211046
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	उपभोक्ता केन्द्रित पहल	3-6
2	सिफारिशें	
	– दूरसंचार क्षेत्र	7-9
	– प्रसारण क्षेत्र	10-12
3	विनियम	
	– दूरसंचार क्षेत्र	13-15
	– प्रसारण क्षेत्र	15-16
4	निदेश	
	– दूरसंचार क्षेत्र	17-20
	– प्रसारण क्षेत्र	20-28
5	परामर्श	
	– दूरसंचार क्षेत्र	29-32
	– प्रसारण क्षेत्र	32-36
6	अन्य मुद्दे (दूरसंचार क्षेत्र)	37-42
7	अन्य मुद्दे (प्रसारण क्षेत्र)	43-48
8	सामान्य प्रशासन से जुड़े मुद्दे	49-56
9	अनुलग्नक	57-58

प्राक्कथन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) अपने अस्तित्व में आने से ही उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं के हितों को सुरक्षित बनाने तथा उसके संवर्धन के साथ दूरसंचार सेवाओं की वहनीयता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। इसके पश्चात्, प्राधिकरण को वर्ष 2004 में प्रसारण और केबल सेवाओं के एड्रेसेबल प्रणालियों का अतिरिक्त कार्यभार को सौंपा गया। प्राधिकरण ने दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के लिए एक अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप सेवाओं के चयन के संदर्भ में, वहनीय प्रशुल्क, सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता आदि के संबंध में उपभोक्ताओं को समग्र लाभ पहुंचे हैं, जैसा कि इन क्षेत्रों के विस्तार तथा विकास से स्पष्ट है।

वर्ष 2019 के दौरान, प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र के सुचारू विकास के अनेकानेक कदम उठाए थे। विभिन्न मुद्दों यथा ''मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के लिए प्रति पोर्ट लेन–देन प्रभार तथा अन्य संबद्ध प्रभार'', ''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए शर्तों की समीक्षा'', ''अंतर्संयोजन हेतु विनियामक ढ़ांचे की समीक्षा'', ''जन सुरक्षा तथा संरक्षा सेवाओं हेतु भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आवंटन'', ''अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार की समीक्षा'', ''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी– I (आईपी– I) पंजीकरण के क्षेत्राधिकार की समीक्षा'', तथा फिक्सड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एक एकीकृत नम्बर योजना विकसित करना'' के संबंध में परामर्श आरंभ किया गया था।

प्राधिकरण ने आईयूसी विनियम में संशोधन किया तथा दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया। इस संशोधन के माध्यम से प्राधिकरण ने वॉयरलेस टू वॉयरलेस घरेलू कॉल समापन प्रभारों के संबंध में बिल एंड कीप (बीएके) प्रणाली की अनुप्रयोजनीयता की तिथि में संशोधन किया। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के लिए एक कुशल तथा उपभोक्ता अनुकूल प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (आठवां संशोधन) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया को कुशल बनाया गया है।

प्राधिकरण ने ''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए निबंधन और शर्तों की समीक्षा'', ''जन सुरक्षा तथा संरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आवंटन'' के संबंध में अपनी सिफारिशों को सरकार को भेजा।

वर्ष के दौरान प्रसारण तथा केबल सेवा क्षेत्र द्वारा विभिन्न विनियामकारी चुनौतियों का सामना किया गया एवं उनका समाधान भी किया गया। ''दूरसंचार बीएंडसीएस डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियां लेखापरीक्षा नियम पुस्तक'', ''केबल टेलीविजन सेवाओं में मल्टी–सिस्टम आपरेटर के प्रवेश स्तर के निवल मान'', ''डीटीएच सेट टॉप बॉक्स की केवाईसी'', ''प्रसारण तथा केबल सेवाओं के लिए प्रशुल्क संबंधी मुद्दों'', एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' और ''डीटीएच आपरेटरों द्वारा पेशकश की जाने वाली प्लेटफार्म सेवाओं'' पर वर्ष के दौरान परामर्श आरंभ किया गया और हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, ''केबल टेलीविजन सेवाओं में मल्टी–सिस्टम आपरेटर का प्रवेश स्तर का निवल मान'', ''डीटीएच सेट टॉप बॉक्स के केवाईसी'' और ''डीटीएच आपरेटरों द्वारा पेशकश की जाने वाली प्लेटफार्म सेवाओं'' के विषय में सरकार को सिफारिशें की गई।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रशुल्कों के प्रकाशनों के लिए उपबंधों को वापस लेने, सेग्मेंटिड ऑफरों, निष्पादन निगरानी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, ''प्रसारण तथा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामकारी ढ़ांचे के लिए विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने, डायरेक्ट–टू–होम प्रसारण सेवाओं के संबंध में अनेक विनियामकारी उपायों को अधिदेशित करते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेवा प्रदाताओं को विभिन्न निदेश भी जारी किए थे। उपयुक्त उपायों से स्वस्थयकारी प्रतिस्पर्धा का संवर्धन कर उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के साथ– साथ निवेश कार्यकुशलता में वृद्धि करने के माध्यम से प्रसारण और दूरसंचार क्षेत्र के सुचारू विकास को और गति मिलने की संभावना है। इस अवधि के दौरान ''भारत में 5जी को सक्षमकारी बनाना'' तथा ''छोटे एमएसओ के लिए नए ढ़ांचे के लाभ'' विषय पर भी रिपोर्ट/श्वेत पत्र प्रकाशित किए गए थे।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की विभिन्न पहल के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जानकारी पैदा करने के लिए तथा उपभोक्ता संगठनों की क्षमता का निर्माण करने के लिए उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपने आदेशों, निदेशों तथा विनियमों के प्रभावी कार्यान्वन की सतत्रूप से निगरानी कर रहा है। दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं द्वारा विनियामकारी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किए जाने की सूक्ष्मता से निगरानी करने तथा वित्तीय निरुत्साहन लगाए जाने के परिणामस्वरूप बेहतर अनुपालन तथा विनियामक प्रवर्तन सुनिश्चित हुआ है।

यह रिपोर्ट, कलेण्डर वर्ष 2019 के दौरान प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का एक सार उपलब्ध कराती है। इस संकलन का उद्देश्य वर्ष 2019 के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे में हितधारकों के साथ जानकारी साझा करना है। पठन हेतु सुगमता के उद्देश्य से क्रियाकलापों का वर्गीकरण किया गया है। इस रिपोर्ट में संदर्भित सभी सिफारिशें, विनियम, परामर्श पत्र तथा निदेश आदि भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं तथा विस्तृत जानकारी के लिए संदर्भ ग्रहण किया जा सकता है।

(सुनील कुमार गुप्ता)
सचिव

गतिविधियों के संबंध में रिपोर्ट

I. उपभोक्ता हित

प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा विनियामक तंत्र में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जो उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने की दिशा में योगदान देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण समय समय पर विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रित मुद्दों पर विनियम, निदेश तथा आदेश जारी करता आ रहा है। उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता संगठनों को इन उपायों का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें इन पहल से अवगत कराया जाए। उपभोक्ताओं में जानकारी का प्रसार करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों तथा सेवा संबंधी मुद्दों के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आयोजन, इलेक्ट्रिानिक तथा प्रिंट मीडिया अभियानों को चलाकर तथा उपभोक्ता शिक्षा सामग्री के प्रकाशन के माध्यम से एक बहु आयामी कार्यनीति का पालन करता है। कलेण्डर वर्ष 2019 के दौरान, देशभर में 75 सीओपी आयोजित किए गए थे।

सेवा की गुणवत्ता

सेवा की गुणवत्ता के संबंध में सेवा की गुणवत्ता की निगरानी तथा जानकारी का प्रसार तथा स्पैम पर रोक लगाने में प्रौद्योगिकी आधारित समाधनों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के कारण एक व्यापक परिवर्तन आया है। 'कॉल म्यूटिंग' तथा 'कॉल सेट अप डिले' पर विचार करने के लिए वीओएलटीई तथा सीएसएफबी हेतु नए बैंचमार्कों को अधिसूचित किया गया है। अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी) की समस्या पर रोक लगाने के लिए, एक नए विनियामक ढ़ांचे को आरंभ किया गया है, जो पहुंच सेवा प्रदाताओं को प्रौद्योगिकी आधारित सक्षमकारियों का उपयोग करने के लिए अधिदेशित करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का सेवा प्रदाताओं द्वारा जमा की जाने वाली तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों (पीएमआर) तथा 'प्वाईंट ऑफ इंटरकनेक्शन कंजेशन रिपोर्टों के माध्यम से निगरानी करता है। सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा सर्वेक्षण को इस प्रयोजनार्थ नियुक्त स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा की गुणवत्ता के बैंचमार्कों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन भी लगा रहा है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस तथा आदेश का ब्योरा निम्नानुसार है :

सेवा की गुणवत्ता के बैंचमार्कों का अनुपालन नहीं किया जाना

वर्ष के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के बैंचमार्कों का अनुपालन नहीं करने तथा अनुपालन रिपोर्टों को विलम्ब से जमा करने के कारण मूलभूत सेवा प्रदाताओं को 16 कारण बताओ नोटिस, ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं को 46 कारण बताओ नोटिस तथा सेल्युलर सेवा प्रदाताओं को 32 कारण बताओ नोटिस जारी किए।

वर्ष के दौरान जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों के उत्तर की जांच करने के पश्चात्, सेवा की गुणवत्ता विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन लगाने के 54 आदेश तथा सेवा की गुणवत्ता विनियमों की अनुपालन रिपोर्ट को जमा करने में विलम्ब के कारण 21 आदेश के साथ–साथ नीचे दिए गए ब्योरे के अनुरूप वित्तीय निरुत्साहन लगाया :

सेवाओं	वित्तीय निरुत्साहन
ब्रॉडबैंड	48.45 लाख रुपये
आधारभूत	36.00 लाख रुपये
सेल्युलर	320.00 लाख रुपये
कुल राशि	404.45 लाख रुपये

मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में सेवा की गुणवत्ता

सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता) विनियम, 2006 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए मैसर्स वोडाफोन और मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड को दिनांक 24 जून, 2019 तथा दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 की अवधि के लिए राजस्थान दूरसंचार सर्किल के विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए तथा दिनांक 01 जनवरी,

2018 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वृद्धि संबंधी प्रीपेड सीडीआर जारी करने के लिए दिनांक 21 मार्च, 2006 का एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, मीटरिंग और बिलिंग विनियम का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में, वित्तीय निरुत्साहन के आदेश के रूप में 42.41 लाख रुपये की शास्ति लगाई गई थी।

अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी)

टीसीसीसीपीआर विनियम, 2018 के खंड 26 का उल्लंघन करने के लिए दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को बीएसएनएल तथा एमटीएनएल तथा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को आरकॉम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निगरानी और सेवा की गुणवत्ता (दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की निष्पादन निगरानी रिपोर्ट, विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और मूल्यांकन तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पेशकश की जाने वाली उपभोक्ता अनुभव रिपोर्टें) सुनिश्चित करना।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों, 'इंटरकनेक्शन कंजेशन' रिपार्टों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी करता है।

सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, निष्पादन निगरानी रिपोर्टो के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता के बैंचमार्कों के समक्ष सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की सूक्ष्मता से निगरानी कर रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है। इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा करने तथा मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त की हैं। हितधारकों की जानकारी के लिए लेखापरीक्षा के परिणाम तथा सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के परिणामों को प्रकाशित किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सेवा की गुणवत्ता के बैंचमार्कों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन भी लगा रहा है।

सेवा प्रदाताओं को पीएमआर / कारण बताओ नोटिस / आदेशों को जारी किया जानाः

लेखापरीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं की लेखापरीक्षा करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेन्सियों की सेवाएं ली हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी, हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट के माध्यम से स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा आरंभ किए गए सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा मूल्यांकन के परिणामों को भी प्रकाशित करता है। सेवा से संबंधित जानकारी की गुणवत्ता के प्रकाशन द्वारा सेवा प्रदाताओं को सेवा के निष्पादन में सुधार करने साथ ही बैंचमार्कों पर खरा उतरने में आने वाली कमियों का समाधान करने को भी बाध्य करता है।

शहरों (दिल्ली एलएसए के अलावा), राजमार्गों तथा रेलवे मार्गों पर पूर्ण किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट रिपोर्टों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 के अनुसार, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, के महत्वपूर्ण अधिदेश हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने तथा उनके हितों का संरक्षण करने के साथ ही साथ उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने तथा उन्हें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के महत्व को पहचानता है। इस उद्देश्य के साथ, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए पिछले वर्ष कुछ मोबाइल एप आरंभ किए हैं। इनकी सफलता और स्वीकार्यता से प्रोत्साहित होकर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नए उपभोक्ता उन्मुखी मोबाइल एप तथा पोर्टल को विकसित किया है। नए प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्मों की विशेषताएं निम्नवत हैं :

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रसारण और केबल सेवाओं पर एक नए विनियमक ढ़ांचे के संबंध में एक विशिष्ट पेज जोड़ा गया है। यह पेज नए विनियमक ढ़ांचे के संबंध में/प्रेस विज्ञप्ति, प्रसारक के प्रशुल्कों (चेनलों/बुके), सेवा प्रदाताओं के संपर्क ब्योरे, मीडिया अभियानों (वीडियो, जिंग्लों, विज्ञापनों, साक्षात्कारों) और बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में विभिन्न हित धारकों को जानकारी प्रदान करेगा।

(ख) चेनल का चयन करने संबंधी एप तथा पोर्टल :

टेलीविजन तथा प्रसारण क्षेत्र के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए विनियमों के लागू होने से, उपभोक्ताओं को ऐसे टेलीविजन (टीवी) चैनलों का चयन करने की स्वतंत्रता है जो वे देखना चाहते हैं। यह एप्लीकेशन उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चुनाव को इष्टतम बनाने और उन्हें एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) के बारे में जानकारी देने में मदद करते हैं। एप का बीटा संस्करण गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एप के समान विशेषताओं के साथ एक वेब आधारित बीटा पोर्टल को भी जन साधारण को उपलब्ध कराया गया था।

(ग) प्रशुल्क फाइलिंग पोर्टल :

वर्तमान में, दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) अपने सभी प्रशुल्कों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पोर्टल नामतः www.tariff.trai.gov.in. पर फाइल कर रहे हैं। अब उपभोक्ता विभिन्न टीएसपी के प्रशुल्कों तथा अलग–अलग लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) को एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यह प्लेटफार्म न केवल उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता है बल्कि अन्य हितधारकों को तुलनात्मक विश्लेषण करने में भी मदद करता है। प्रशुल्क फाइल करने तथा समीक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से स्वचालित बनाया गया है। अब सभी प्रशुल्क प्लॉन को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। हाल ही में एक नई रिपोर्ट मॉड्यूल को पोर्टल में जोड़ा गया है जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को पिछले तथा मौजूदा प्रशुल्क योजनाओं (प्रीपेड/पोस्ट पेड), ब्लैक आऊट डेज तथा थोक प्रशुल्क के बारे अतिरिक्त तिमाही/वार्षिक प्रशुल्क जानकारी के साथ सहायता प्रदान करेगा।

(घ) एपीआई विनिर्दिष्टताएं :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, विभिन्न डाटा को क्रॉउडसोर्सिंग तथा दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा के माध्यम से संग्रहित कर रहा है। इस डाटा को विनियमों द्वारा यथा विहित, अनुपालनों तथा पोर्टल के माध्यम से जन साधारण के बीच उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाता है। लगातार उभरती सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन के साथ, भादूविप्रा ने डाटा– एपीआई के माध्यम से स्वचालित डाटा संग्रहण करने की योजना बनाई है। यह ढ़ांचे, विभिन्न सेवा प्रदाताओं तथा अन्य हितधारकों के माध्यम से डाटा समेकन की प्रक्रिया को निर्धारित करेगा। तदनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग ने बीएंडसीएस क्षेत्र में एपीआई विनिर्दिष्टताएं जारी की हैं। यह एपीआई, चैनल/बुके से संबंधित डाटा प्राप्त करने के लिए डीपीओ प्रणाली के साथ सम्प्रेषण करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराएंगे। इन एपीआई का उपयोग चैनल सिलेक्टर एप तथा पोर्टल द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म आपरेटरों (डीपीओ) प्रणाली से/के लिए सम्प्रेषण करने/चैनलों/बुके संबंधी डाटा हेतु सम्प्रेषण करने/प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

उपभोक्ता शिक्षा साहित्य, मीडिया अभियान, संगोष्ठियों का आयोजन तथा उपभोक्ता शिकायत का निवारण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं द्वारा सहज बोध के लिए सभी विनियमों, निदेशों तथा आदेशों पर उपभोक्ता केन्द्रित जानकारी के संकलन के साथ दूरसंचार पर एक उपभोक्ता हैंडबुक प्रकाशित की है। यह हैंडबुक उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता समर्थक समूहों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि उपभोक्ता जागरूकता का प्रसार करने में मदद की जा सके। तब से सभी महत्वपूर्ण विनियमों/आदेशों आदि को कवर करते हुए हैंडबुक में व्यापक रूप से संशोधन किया गया है। हैंडबुक के संशोधित संस्करण को हिंदी, अंग्रेजी तथा 10 क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, ओड़िया तथा असमिया) में मुद्रित किया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में ''ट्राई न्यू टीवी रूल्स'' पर वीडियो फिल्म भी विकसित की है।

उपभोक्ता हितों तथा संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठियां

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, जागरूकता पैदा करना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। स्मार्ट फोन, इंटरनेट उपयोग तथा प्रौद्योगिकीय उन्नति में असाधारण विकास से दूरंसचार क्षेत्र में नई चुनौतियां सामने आई हैं। उपभोक्ताओं को इस क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिक्षित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभिन्न प्रौद्योगिकीय तथा उपभोक्ता संबंधित मुद्दों पर संगोष्ठियां आयोजित करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान ऐसी दस संगोष्ठियां आयोजित की, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :

दिनांक 18 जून, 2019 को इंडियन इंस्टीटियूट ऑफ एडवांस स्टडी, राष्ट्रपति निवास, शिमला (हिमाचल प्रदेश) में ''इंफरमेशन, प्रोटेक्शन एंड राईटस् फार टेलीकाम कन्ज्यूमर्स इन डिजिटल एरा'' विषय पर संगोष्ठी।

1. दिनांक 07 जनवरी, 2019 को भोपाल (मध्य प्रदेश) में ''डिजिटाईजेशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण'' विषय पर संगोष्ठी।
2. दिनांक 30 जनवरी, 2019 को जोधपुर में ''भारत में सुरक्षित तथा सुदृढ़ इंटरनेट की ओर'' विषय पर संगोष्ठी।
3. दिनांक 15 मार्च, 2019 को पुणे (महाराष्ट्र) में ''ब्लॉकचेन टेक्नालाजी एंड एप्लीकेशन'' विषय पर संगोष्ठी।
4. दिनांक 15 मार्च, 2019 को चेन्नई (तमिलनाडु) में ''इवोल्यूशन आफ कम्यूनीकेशनः सोशल मीडिया एंड बियांड'' विषय पर संगोष्ठी।

5. दिनांक 18 जून, 2019 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में ''इंफरमेशन, प्रोटेक्शन एंड राईटस् फार टेलीकाम कन्ज्यूमर्स इन डिजिटल एरा'' विषय पर संगोष्ठी।

6. दिनांक 20 अगस्त, 2019 को मांऊट आबू (राजस्थान) में ''इन्पावरमेंट थ्रू कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन'' विषय पर संगोष्ठी।

7. दिनांक 29 अगस्त, 2019 को वसंत नगर (बेंगलुरु) में ''5जी प्रौद्योगिकी'' विषय पर संगोष्ठी।

8. दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को जमशेदपुर (झारखंड) में ''सॉयबर फ्राड : जनरल अवेयरनेस एंड सॉयबर सिक्योरिटी मेज़र्स'' विषय पर संगोष्ठी।

9. दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 को रायपुर (छत्तीसगढ़) में ''डिजिटल इंडिया : ए प्लेटफार्म फॉर इकोनामिक प्रोग्रेस एंड चेंजिग सोशल लाइफ इन रूरल एरिया'' विषय पर संगोष्ठी।

10. दिनांक 09 नवम्बर, 2019 को गांधीनगर (गुजरात) में ''प्राइवेसी–सिक्योरिटी एंड स्मार्ट फोन'' विषय पर संगोष्ठी।

उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति विशेष उपभोक्ता की शिकायतों पर कार्यवाही करने की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त शिकायतों को उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दिया जाता है। दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दूरसंचार सेवाओं के संबंध में 30152 शिकायतें तथा प्रसारण और केबल टेलीविजन से संबंधित 21066 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी शिकायतों को उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दिया गया। सामान्य स्वरूप की शिकायतें अथवा जिनमें क्लॉस एक्शन लिया जाना अपेक्षित था, उनके आधारभूत मुद्दों का समाधान करने के लिए उन पर कार्यवाही की गई।

उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी)

उपभोक्ता की शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन करता है। यह सीओपी, उपभोक्ताओं को अपने स्थानीय मुद्दों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ, उठाने के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवाता है। वर्ष के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 75 ऐसे उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया। आयोजित किए गए उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों की सूची रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) में दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन

तुमकुर (कर्नाटक) में दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन

उपभोक्ता समर्थक समूहों का पंजीकरण और उनका क्षमता निर्माण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक पंजीकरण प्रणाली स्थापित की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय करते हैं और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उपभोक्ता शिक्षा में सहायता करने और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और प्रचार–प्रसार के लिए कार्य करने हेतु भादूविप्रा के कार्यकलापों पर उपभोक्ताओं की आवाज़ को उठाते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय उपभोक्ता समर्थक समूहों के साथ बातचीत करते हैं, अपने कार्यकलापों का समन्वय करते हैं और सेवा प्रदाताओं के साथ उपभोक्ता संबंधित मुद्दे का समाधान करने में सहायता करते हैं। उपभोक्ता समर्थक समूह, सीओपी और अपने संबंधित क्षेत्रों में आयोजित कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह उपभोक्ता समर्थक समूह, टीएसपी के अपीलीय प्राधिकरणों की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। अप्रैल, 2019 में उपभोक्ता समर्थक समूह (जिनके कार्यकाल का नवीकरण किया जाना था) के निष्पादन की समीक्षा की गई थी। समीक्षा की प्रक्रिया के उपरांत 24 उपभोक्ता समर्थक समूहों का कार्यकाल का नवीकरण किया गया और 3 नए उपभोक्ता समर्थक समूह जोड़े गए जिसके परिणामस्वरूप, पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों की कुल संख्या 53 हो गई।

क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के बारे में उपभोक्ता समर्थक समूहों को अवगत कराने के लिए, भादूविप्रा उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करता है। इन कार्यशालाओं के दौरान उपभोक्ता केन्द्रित मुद्दों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपभोक्ता समर्थक समूहों तथा टीएसपी के साथ सामान्य बातचीत के साथ–साथ, महत्वपूर्ण दूरसंचार के मुद्दों पर विशेषज्ञ सत्रों का आयोजन किया जाता है। इस अवधि के दौरान ऐसी ही छह कार्यशालाओं का आयोजन द्वारका (गुजरात) (दिनांक 18 फरवरी, 2019), मंगलोर (कर्नाटक) (दिनांक 15 मार्च, 2019), पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) (दिनांक 31 मई, 2019) तथा रायपुर (छत्तीसगढ़) (दिनांक 19 जुलाई, 2019), वाराणसी (दिनांक 20 सितम्बर, 2019) तथा विशाखापत्तनम (दिनांक 06 दिसम्बर, 2019) में किया गया था।

भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय तथा सहायता कर, भादूविप्रा को अपने क्षेत्रों में किए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी का प्रसार करते हैं। वे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों में भी भागीदारी करते हैं। यह सीएजी, टीएसपी के अपीलीय प्राधिकरणों की परामर्शदात्री समितियों के भी सदस्य होते हैं। सीएजी के निष्पादन की समीक्षा (जिनका कार्यकाल दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से नवीकरण किए जाने हेतु देय था) की जा रही है। उपभोक्ता संगठनों से कुछ नए आवेदन प्राप्त किए गए हैं और सीएजी के रूप में नए पंजीकरण के लिए उनकी जांच की जा रही है।

II. सिफारिशें

सरकार को स्पेक्ट्रम जैसे अति अल्प संसाधन जैसे स्पेक्ट्रम, अंतर्संयोजन क्लॉउड सर्विसेज़, नेट निरपेक्षता, दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने आदि के विविध मुद्दों पर सिफारिशें की गई। इस अधिदेश के तहत, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान निम्नवत सिफारिशें की।

दूरसंचार क्षेत्र

- **''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण हेतु निबंधन एवं शर्तों की समीक्षा'' पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 की सिफारिशें**

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 10 सितंबर, 2018 के पत्र के तहत अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण हेतु निंबधन एवं शर्तों की समीक्षा पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी थी। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 07 जनवरी, 2019 के पत्र के तहत कतिपय मुद्दों पर पृष्ठाधार सूचना भी उपलब्ध कराई।

प्राधिकरण ने दिनांक 29 मार्च, 2019 को ''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण हेतु निंबधन एवं शर्तों की समीक्षा'' विषय पर विस्तृत परामर्श पत्र भी जारी किया ताकि इस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा सके और प्रासंगिक मुद्दों पर हितधारकों से जानकारी मांगी जा सके। तदुपरांत, दिल्ली में दिनांक 15 जुलाई, 2019 को एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया ताकि विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के और विचार लिए जा सके। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारियों और अपने विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने 'अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी)' के पंजीकरण हेतु निंबधन एवं शर्तों की समीक्षा' पर अपने सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं :–

(क) ओएसपी की परिभाषा में स्पष्टता लाई गई है। विद्यमान प्रक्रिया के अनुरूप केवल वॉयस आधारित, ऑउटसोर्स किए गए ओएसपी का पंजीकरण करने की आवश्यकता है। डाटा/इंटरनेट आधारित ओएसपी को केवल सूचना देने की आवश्यकता होगी।

(ख) रक्षित प्रयोजनों अर्थात रक्षित सम्पर्क केन्द्रों के लिए सेवाओं के प्रावधान को ओएसपी के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। उन्हें केवल सूचना देने की आवश्यकता होगी।

(ग) पंजीकरण/सूचना देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और समयबद्ध तरीके से होगी।

(घ) एक एलएसए के भीतर एकल कंपनी के बहु ओएसपी केन्द्रों को एकल ओएसपी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

(ङ) समान कंपनी के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी के बीच अवसंरचना के आदान–प्रदान के लिए बैंक गारंटी के करार की अपेक्षा को हटा दिया गया है।

(च) घर से काम की सुविधा (डब्ल्यूएफएच) लेने के लिए करार और बैंक गारंटी की अपेक्षा को भी हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पीपीवीपीएन की अपेक्षा को हटा दिया गया है और डब्ल्यूएफएच के लिए कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किसी वाणिज्यिक वीपीएन का उपयोग किया जा सकता है।

(छ) एक ओएसपी केन्द्र पर प्राप्त इंटरनेट को समान कंपनी के अन्य ओएसपी केन्द्रों के साथ साझा किया जा सकता है (बशर्ते, आईएसपी का भौगोलिक क्षेत्राधिकार हो)।

(ज) अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी विदेशी स्थानों पर ईपीएबीएक्स रख सकता है।

(झ) ऐसे सम्पर्क केन्द्र, सेवा प्रदाता (सीसीएसपी)/होस्टेड सम्पर्क केन्द्र सेवा प्रदाता (एचसीसीएसपी) जो सेवा के रूप में प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहे हैं, उन्हें पंजीकरण के दायरे में लाया गया है। दूरसंचार संसाधनों के पुनर्विक्रय में शामिल सीसीएसपी/एचसीसीएसपी को वीएनओ लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

(ञ) दूरसंचार विभाग द्वारा नीति की घोषणा के बाद सीसीएसपी/एचसीसीएसपी को आवश्यक पंजीकरण/लाइसेंस लेने के लिए तीन माह का समय दिया गया है।

- **''भारतीय रेलवे को जनसुरक्षा और संरक्षा सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन'' पर दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 की सिफारिशें**

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 27 फरवरी, 2019 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि भारतीय रेलवे ने रेल से स्थल और रेल से रेल सम्प्रेषण के लिए अपने नेटवर्क के साथ 'अल्ट्रा–हाई स्पीड एलटीई' आधारित सम्प्रेषण कॉरिडोर

प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव किया है। इस संदर्भ में भारतीय रेलवे ने दूरसंचार विभाग से इस प्रयोजन हेतु 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आरक्षित करने का अनुरोध किया था और 10 मेगाहट्र्ज निःशुल्क आवंटित करने के साथ आरंभ करने का अनुरोध किया था क्योंकि इस प्रस्ताव से कोई वाणिज्यिक लाभ नहीं है, लेकिन इसका उपयोग केवल सुरक्षा और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए है। उक्त पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन और इसकी मात्रा, मूल्य, उपयुक्त आवृति बैंड (450 से 470 मेगाहट्र्ज बैंड सहित) और किसी अन्य संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया।

इस संबंध में, दिनांक 24 जून, 2019 को ''भारतीय रेलवे को जनसुरक्षा और संरक्षा सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन'' विषय पर परामर्श पत्र जारी किया गया।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारियों और अपने विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने ''भारतीय रेलवे को जनसुरक्षा और संरक्षा सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन'' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं :

(क) 700 मेगाहट्र्ज में उपलब्ध 35 मेगाहट्र्ज (युग्म) स्पेक्ट्रम में से 5 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम (युग्म) को भारतीय रेलवे को एक साथ ईटीसीएस स्तर–2, एमसी पीटीटी + वॉयस, आईओटी आधारित परिसम्पति निगरानी सेवाएं, यात्री सूचना प्रदर्श प्रणाली और कुछ कोचों के वीडियो निगरानी की 'लाइव फीड' के लिए आवंटित किया जा सकता है। 700 मेगाहट्र्ज में शेष 30 मेगाहट्र्ज (युग्म) को आगामी नीलामी में नीलामी करने के लिए रखा जा सकता है।

(ख) रेलगाड़ियों के सभी डिब्बों (सुरक्षा सेवाएं) की वीडियो निगरानी प्रणाली लागू करने के लिए भारतीय रेलवे अन्य संचार साधनों का अन्वेषण कर सकता है, जैसे–

(i) जब रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है, तो उच्च क्षमता वाले वाई– फाई का उपयोग करके वीडियो निगरानी डाटा को प्रणाली में डंप करना या डालना।

(ii) वीडियो निगरानी डाटा स्ट्रीम को इसके नियंत्रण केन्द्र में लगातार भेजने के लिए जन संचार नेटवर्क (टीएसपी नेटवर्क) का उपयोग करना।

(ग) आवधिक निगरानी की प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम का कुशल और समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे को 900 मेगाहट्र्ज में पहले से दिए गए 1.6 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम को एलटीई आधारित नेटवर्क में जाने पर भारतीय रेलवे से वापस ले लिया जाए।

(घ) चूंकि भारतीय रेलवे दिए गए स्पेक्ट्रम का केवल अपने ट्रैक नेटवर्क और स्टेशनों में उपयोग करेगा, इसलिए दूरसंचार विभाग इस स्पेक्ट्रम को अन्य कंपनियों को रक्षित उपयोग के लिए क्षेत्र–विशिष्ट सीमित उपयोग हेतु अन्य क्षेत्रों में देने की संभावना तलाश सकती है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे उपयोग से रेलवे के नेटवर्क में कोई हस्तक्षेप न हो।

(ङ) भारतीय रेलवे को रक्षित उपयोग के लिए प्रशासनिक आधार पर स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है और इसे 'वाई–फाई ऑनबोर्ड' जैसे किसी वाणिज्यिक सेवाओं के लिए नहीं दिया जाए।

(च) रॉयल्टी प्रभारों और रक्षित उपयोग हेतु लाइसेंस के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा यथा निर्धारित सूत्र आधार पर स्पेक्ट्रम का प्रभार परिकलित किया जाए।

- **''ऑडियो कॉफ्रेंसिंग ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस ढांचा'' की सिफारिशों दिनांक 16 दिसम्बर 2016 पर दूरसंचार विभाग के बैक रेफरेंस दिनांक 10 अक्टूबर 2019 पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया दिनांक 24 दिसम्बर 2019**

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 अक्टूबर 2019 के अपने पत्र के तहत सूचित किया कि ''ऑडियों कॉफ्रेंसिंग ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस ढांचा'' विषय पर दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को भादूविप्रा के सिफारिशों पर विचार किया गया और सिफारिश संख्या 4 के अलावा अन्य सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। सिफारिश संख्या 4 भादूविप्रा के ''लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार की गणना हेतु राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा'' संबंधी दिनांक 06 जनवरी 2015 की पूर्व सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए भादूविप्रा की 16 दिसम्बर 2016 के संदर्भ में कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है।

दूरसंचार विभाग (i) वित्तीय बैंक गारंटी (ii) दांडिक उपबंध, और (iii) मोजूदा ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल/यूएमएस करार/लाइसेंस से संबंधित बिंदुओं पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी। प्राधिकरण ने विचार करने के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रुप दिया और दिनांक 24 दिसम्बर 2019 को दूरसंचार विभाग को भेजा गया।

दूरसंचार विभाग के पिछले संदर्भ पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया

- **700 मेगाहर्टज, 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्टज, 2500 मेगाहर्टज, 3300– 3400 मेगाहर्टज तथा 3400–3600 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में दिनांक 01 अगस्त, 2018 की सिफारिशों पर दिनांक 01 जुलाई, 2019 के दूरसंचार विभाग के पिछले संदर्भ पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया**

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 19 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि सरकार अगली नीलामी के दौरान 700 मेगाहर्टज, 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्टज, 2500 मेगाहर्टज, 3300–3400 मेगाहर्टज तथा 3400–3600 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार की नीलामी करने की योजना बना रही है। उक्त पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की शर्तों के तहत सभी सेवा क्षेत्रों के लिए इन बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु लागू आरक्षित मूल्य, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की प्रमात्रा तथा स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु संबद्ध शर्तां पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया था।

विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के पश्चात्, प्राधिकरण ने दिनांक 01 अगस्त, 2018 को ''700 मेगाहर्टज, 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्टज, 2500 मेगाहर्टज, 3300–3400 मेगाहर्टज तथा 3400–3600 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 01 जुलाई, 2019 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि उपयुक्त उल्लिखित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर डिजिटल सम्प्रेषण आयोग (डीसीसी) द्वारा विचार किया गया है और उनमें उल्लिखित कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण/पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, दूरसंचार विभाग द्वारा स्पष्टीकरण/ पुनिर्विचार हेतु कुछ सिफारिशों को प्राधिकरण को वापस भेजा गया।

इन मुद्दों की जांच के पश्चात्, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने दिनांक 08 जुलाई, 2019 के पत्र के माध्यम से पश्च् संदर्भ पर अपना उत्तर भेजा। सिफारिशों पर स्पष्टीकरण/पुनिर्विचार भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

- **मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड द्वारा लाइसेंस करारों और मूलभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) की गुणवत्ता मानकों और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित दिनांक 21 अक्तूबर, 2016 की प्राधिकरण की सिफारिशों पर दिनांक 21 जून, 2019 को भादूविप्रा को प्राप्त दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर प्राधिकरण की प्रतिक्रिया**

प्राधिकरण ने मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड द्वारा लाइसेंस करारों और आधारभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा–सेवा की गुणवत्ता मानदंड विनियम, 2009 के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित दिनांक 21 अक्तूबर, 2016 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। तदुपरांत, प्राधिकरण ने दूरसंरचार विभाग के दिनांक 05 अप्रैल, 2017 के संदर्भ के प्रतिक्रिया में दिनांक 24 मई, 2017 को अपनी सिफारिशें भेजी।

दिनांक 21 जून, 2019 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त अपने संदर्भ के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने इस क्षेत्र की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए दंड की प्रमात्रा पर भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी।

यथोचित विचार–विमर्श के उपरांत प्राधिकरण ने दिनांक 21 जून, 2019 के अपने उत्तर में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाना है और इसे देखते हुए, प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई और टिप्पणी नहीं करने का निर्णय लिया।

प्रसारण क्षेत्र

- **''केबल टेलीविजन सेवाओं में बहु–प्रणाली प्रचालकों के प्रवेश स्तर पर निवल आय की अपेक्षा'' पर दिनांक 22 जुलाई, 2019 की सिफारिशें**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 22 जुलाई, 2019 को ''केबल टेलीविजन सेवाओं में बहु–प्रणाली प्रचालकों के प्रवेश स्तर पर निवल आय की अपेक्षा'' विषय पर अपनी सिफारिशें दी।

इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :–

(क) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि एमएसओ पंजीकरण के लिए न्यूनतम प्रवेश स्तरीय निवल आय को निर्धारित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि वर्तमान में कोई व्यक्ति, कंपनी, कारपोरेट फर्म या एलएलपी, जो केबल टेलीविजन नियमों की उपबंधों को पूरा करता है, उन्हें एमएसओ पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है।

(ख) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि एमएसओ पंजीकरण के लिए प्रचालन क्षेत्र के आधार पर कोई न्यूनतम निवल आय के वर्गीकरण आरंभ करने का कोई आधार नहीं है। डीएएस प्रणाली सब्सक्रिप्शन आधारित बिलिंग को सक्षम बनाता है और क्षेत्रावार पंजीकरण आरंभ करने का कोई औचित्य नहीं है।

(ग) चूंकि एमएसओ के पंजीकरण के लिए क्षेत्र–वार न्यूनतम निवल आय के वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए जम्मू और कश्मीर अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए न्यूनतम निवल आय निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि नेटवर्क लागत मानक के आधार पर एमएसओ के पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवल आय लागू करने में कोई गुणावगुण नहीं है।

(ङ) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, एमएसओ के रूप में पंजीकरण चाहने वाले आवेदकों को निवल आय की स्व–घोषणा हेतु मानक प्ररूप निर्धारित कर सकता है।

(च) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, क्षेत्र के कौशल विकास की आवश्यकता पर विचार कर सकता है और उपयुक्त कदम उठा सकता है ताकि विशेष कार्य करने के लिए कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध हो सके।

- **''डीटीएच सेट टॉप बॉक्सों का केवाईसी'' विषय पर दिनांक 24 अक्तूबर, 2019 की सिफारिशें**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2019 को ''डीटीएच सेट टॉप बॉक्सों का केवाईसी'' विषय पर सिफारिशें जारी की।

इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत थी :–

(क) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि (क) डीटीएच प्रचालकों को केवल उपभोक्ता आवेदन प्रपत्र (केएएफ) में दिए गए पतों पर ही डीटीएच कनेक्शन लगाना चाहिए और डीटीएच प्रचालक के प्रतिनिधि को ऐसे लगाए गए सेट टॉप बॉक्स के पते का सत्यापन करना चाहिए तथा उन्हें ऐसे प्रतिष्ठापन का रिकार्ड रखना चाहिए। (ख) डीटीएच प्रचालक को सब्सक्राइबर के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 'वन–टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) भेजकर उसकी पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। (ग) उन स्थितियों में जहां सब्सक्राइबर द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है, डीटीएच प्रचालक को डीटीएच कनेक्शन देने से पूर्व प्रयोक्ता की पहचान स्थापित करने के लिए मूर्त या इलेक्ट्रानिक प्ररूप में पहचान पत्र अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य दस्तावेज लेना चाहिए।

(ख) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि नियमित अंतराल पर वास्तविक सत्यापन का अधिदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे डीटीएच प्रचालकों पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा और उपभोक्ताओं को असुविधा होगी। तथापि, मौजूदा सेट टॉप बॉक्स के लिए जहां सब्सक्राइबरों का मोबाइल नंबर नहीं है, वहां डीटीएच प्रचालक को उसके द्वारा जारी किए गए सेट टॉप बॉक्सों को दो वर्ष के अंदर मोबाइल नंबर से जोड़ने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन स्थितियों में जहां मोबाइल नंबर जोड़ना संभव नहीं है, डीटीएच प्रचालक को सब्सक्राइबर की पहचान संबंधी साक्ष्य दस्तावेज एकत्रित करने चाहिए।

(ग) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि डीटीएच प्रचालकों को डीटीएच सेट टॉप बॉक्सों में अवस्थिति आधारित सेवाएं (एलबीएस) भाामिल करने का अधिदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- **''डीटीएच प्रचालकों द्वारा पेशकश की जाने वाली प्लेटफार्म सेवाएं'' विषय पर दिनांक 13 नवम्बर, 2019 की सिफारिशें**

भादूविप्रा ने दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को ''डीटीएच प्रचालकों द्वारा पेशकश की जाने वाली प्लेटफार्म सेवाएं'' विषय पर सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :–

(क) प्राधिकरण दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को 'प्लेटफार्म सेवाओं हेतु विनियामक ढांचा' में यथा अनुशंसित पीएस की परिभाषा को दोहराता है। डीटीएच प्रचालकों के लिए प्लेटफार्म सेवाओं (पीएस) की परिभाषा निम्नवत होगीः–

''प्लेटफार्म सेवाएं (पीएस) ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें वितरण प्लेटफार्म प्रचालकों (डीपीओ) द्वारा केवल अपने सब्सक्राइबरों के लिए पारेषित किया जाता है और इसमें दूरदर्शन के चैनल और पंजीकृत टेलीविजन चैनल शामिल नहीं हैं। पीएस में ऐसे विदेशी टेलीविजन चैनल शामिल नहीं होंगे जो भारत में पंजीकृत नहीं हैं।''

पंजीकृत टेलीविजन चैनल अथवा टेलीविजन चैनल का अभिप्राय उस चैनल से है जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अथवा संशोधित नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत डाउनलिंकिंग की अनुमति प्रदान की गई और ''चैनल'' शब्द का संदर्भ किसी 'टेलीविजन चैनल'' से लिया जाएगा।

(ख) डीटीएच प्रचालक द्वारा प्लेटफार्म सेवा के रूप में पारेषित कार्यक्रम विशिष्ट होगा और इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वितरण प्लेटफार्म प्रचालक (डीपीओ) से साथ साझा नहीं किया जाएगा।

(ग) डीटीएच प्रचालक द्वारा प्लेटफार्म सेवा के रूप में प्रसारित कार्यक्रम में किसी पंजीकृत टेलीविजन चैनल अथवा दूरदर्शन चैनल अथवा विदेशी टेलीविजन चैनल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया जाएगा। पंजीकृत टेलीविजन चैनलों (जैसे कि +1 सर्विसेज्) के टाइम–शिफ्ट फीड को प्लेटफार्म सेवा के रूप में अनुमति नहीं होगी।

(घ) डीटीएच प्रचालक, मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय को शपथ–पत्र देगा और सुनिश्चित करेगा कि प्रसारित कार्यक्रम केवल उनके प्लेटफाम के लिए है और किसी अन्य डीपीओ के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा नहीं करेगा।

(ङ) यदि इसी प्रकार का कार्यक्रम किसी अन्य डीपीओ के पीएस के पास उपलब्ध पाया जाता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय/भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण को रोकने के लिए तत्काल निर्देश जारी कर सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास भी डीटीएच प्रचालक के ऐसे पीएस के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(च) किसी एक डीटीएच प्रचालक के लिए अनुमत पीएस की कुल संख्या डीटीएच प्लेटफार्म के कुल चैनल वहन क्षमता का तीन प्रतिशत की अधिकतम सीमा होगी और यह अधिकतम 15 प्लेटफार्म सेवा चैनलों के अध्यधीन होगा।

(छ) डीटीएच प्रचालक से प्रति पीएस चैनल के लिए 1000 रुपये का एक मुश्त अप्रतिदाय पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

(ज) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी आदशों/निदेशों/विनियमों के अध्यधीन प्लेटफार्म सेवा चैनलों को 'इलेक्ट्रानिक प्रोग्राम गाइड' (ईपीजी) में जेनरे 'प्लेटफार्म सेवांए' के अंतगर्त प्लेटफार्म सेवा चैनलों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(झ) भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी आदशों/निदेशों/विनियमों के अध्यधीन संबंधित प्लेटफार्म सेवा के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को प्रत्येक प्लेटफार्म सेवा में ईपीजी में प्रदर्शित किया जाएगा।

(ञ) प्लेटफार्म सेवाओं को 'लीनीयर' चैनलों से अलग दिखाने के लिए 'प्लेटफार्म सेवाएं' के रूप में शीर्षक प्रदर्शित करने का उपबंध अपेक्षित हो सकता है। सरकार 'शीर्षक' के आकार के बारे में निर्णय ले सकती है जो कि उपभोक्ता के लिए पठनीय हो।

दूरसंचार विभाग के पिछले संदर्भ पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया

- **दिनांक 26 फरवरी, 2018 के ''प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता'' विषय पर भादूविप्रा की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पिछले संदर्भ पर भादूविप्रा की 29 मार्च, 2019 की प्रतिक्रिया**

  प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दिनांक 26 फरवरी, 2018 के ''प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता'' विषय पर सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के दिनांक 19 नवम्बर, 2018 के पत्र संख्या के तहत प्राप्त प्रतिक्रिया और टिप्पणियों की यथोचित रूप से जांच की। प्राधिकरण ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर मुद्दों पर पुनः चर्चा की :–

  (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण और आधार;

  (ख) परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों की टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां;

  (ग) सिफारिश करते समय किया गया विश्लेषण;

  (घ) मंत्रालय द्वारा दिया गया कारण; और

  (ङ) सभी पहलुओं को एक साथ रखकर किया गया पुनः स्पष्ट विश्लेषण।

- **भादूविप्रा की दिनांक 25 जून, 2018 को ''भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दे'' विषय पर सिफारिशों के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पिछले संदर्भ पर भादूविप्रा की दिनांक 04 अप्रैल, 2019 की प्रतिक्रिया**

  सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के परंतुक के अनुसार ''भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों से संबंधित मुद्दे'' विषय पर भादूविप्रा की दिनांक 25 जून, 2018 की सिफारिशों को दिनांक 22 जनवरी, 2019 को वापस भेज दिया था ताकि इस मंत्रालय के विचारों के सापेक्ष इन सिफारिशों पर पुनः विचार किया जा सके, विशेषकर उन सिफारिशों पर जिन पर मंत्रालय पूरी तरह से समहत नहीं है।

  इसके प्रत्युत्तर में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग संबंधी दिशानिर्देशों से संबंधित मुद्दों'' पर दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को सिफारिशें जारी की।

III. विनियम

दूरसंचार क्षेत्र

- **दिनांक 12 जून 2019, 27 सितंबर, 2019 और 08 नवम्बर, 2019 के दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू किए जाने की तिथि को बढ़ाने से संबंधित अधिसूचना**

भादूविप्रा ने दिनांक 13 दिसंबर 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया था। इन विनियमों के अनुसार संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) प्रक्रिया दिनांक 13 जून, 2019 से लागू होने के लिए अधिसूचित की गई थी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) को इस संबंध में किए जाने वाले कार्य की प्रक्रियागत् तैयारी की स्थिति और विनिर्दिष्टताओं के बारे में जानकारी देने के लिए पत्र जारी किया, ताकि इसके कार्यान्वयन से पहले परीक्षण के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

भादूविप्रा के पत्र के प्रत्युत्तर में अधिकांश हितधारकों (टीएसपी और एमएनपीएसपी) ने अपने नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन सहित कई कारणों का उल्लेख किया। इसलिए, इन हितधारकों ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 के कार्यान्वयन की समय–सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया।

प्राधिकरण द्वारा टीएसपी और एमएनपीएसपी की प्रतिक्रियाओं की जांच की गई और हितधारकों के अनुरोध पर विचार करते हुए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 के कार्यान्वयन की समय–सीमा को दिनांक 12 जून, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 13 जून, 2019 से बढ़ाकर दिनांक 30 सितंबर, 2019 कर दिया गया।

इसके पश्चात्, एमएनपीएसपी और टीएसपी ने सूचित किया कि उन्हें अभी भी कुछ लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में दूरसंचार विभाग को स्वीकृति परीक्षण की पेशकश करनी पड़ती है; और इसलिए अनुरोध किया कि सुदृढ़ आंतरिक और अंतर्प्रचालक परीक्षण (आईओटी) के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय अपेक्षित होगा और दूरसंचार विभाग के संबंधित टर्म (टीईआरएम) सेलों द्वारा किए जाने वाले परीक्षण के लिए 2 से 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग, महाराष्ट्र एलएसए के टर्म सेल से प्राप्त ई–मेल में दिनांक 30 सितंबर, 2019 से पहले परीक्षण को, पूरा होने में समय की कमी बताया था।

एमएनपीएसपी और टीएसपी के विचारों को ध्यान में रखकर दिनांक 27 सितंबर, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के कार्यान्वयन की तिथि को बढ़ाकर दिनांक 11 नवम्बर, 2019 कर दिया गया। चूंकि परीक्षण का कार्य दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 तक पूरा नहीं हो सका, इसलिए दिनांक 08 नवम्बर, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से कार्यान्वयन की तिथि को पुनः बढ़ाकर दिनांक 16 दिसंबर, 2019 तक कर दिया गया।

दिनांक 13 दिसंबर 2018 का दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 और उक्त विनियम के कार्यान्वयन की समय–सीमा को बढ़ाने से संबंधित दिनांक 12 जून 2019; 27 सितंबर 2019; और 08 नवम्बर 2019 की अधिसूचना, भादूविप्रा के वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

- **दिनांक 30 सितंबर 2019 का ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019''**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 30 सितंबर, 2019 को ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 अधिसूचित किया था। मूल विनियम के अनुसार भादूविप्रा ने मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) द्वारा पेशकश मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवा के लिए 'प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार (पीपीटीसी) के रूप में 19 रुपये का प्रभार निर्धारित किया था।

प्राधिकरण ने व्यापक चर्चा के बाद दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018'' जारी करके मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) प्रक्रिया को संशोधित किया। तदुपरांत, प्राधिकरण ने दिनांक 22 फरवरी, 2019 (तत्पश्चात्, इसे दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को अद्यतन किया गया) को परामर्श

प्रक्रिया जारी करके मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी हेतु प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और अन्य संबंधित प्रभारों की समीक्षा हेतु जन परामर्श आरंभ किया, परामर्श प्रक्रिया में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। इस संबंध में दिनांक 27 मई, 2019 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों, खुला मंच चर्चा के विचार–विमर्ष और इसके बाद एमएनपीएसपी एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकरण ने प्रारूप ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया और हितधारकों से दिनांक 28 अगस्त, 2019'' तक टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।

सभी टिप्पणियों और रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य जानकारियों पर विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ने दिनांक 30 सितंबर, 2019 को ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019'' जारी किया जिसके तहत प्रति पोर्ट अनुरोध के लिए 6.46 रुपये पीपीटीसी निर्धारित किया गया। यह विनियम दिनांक 11 नवम्बर, 2019 से प्रभावी हुआ।

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत यथा उपबंधित दूरसंचार प्रशुल्क (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 प्रशुल्क के लिए अधिकतम सीमा के रूप में प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार निर्धारित किया, जिसे ग्राही प्रचालक द्वारा एमएनपी सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर से प्रभारित किया जा सकता है। अब, उक्त विनियमों के इस संशोधन की अधिसूचना के साथ ग्राही प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबर से लिए जाने वाले प्रशुल्क की सीमा स्वतः कम हो जाती है। तथापि, मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राही प्रचालक सब्सक्राइबरों से कम राशि शामिल करने के लिए स्वतंत्र है।

- **दिनांक 30 सितंबर, 2019 का ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (आठवां संशोधन), विनियम 2019''**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 30 सितंबर, 2019 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (आठवां संशोधन) विनियम, 2009 जारी किया और यह दिनांक 11 नवम्बर, 2019 से प्रभावी हुआ।

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 जारी करते समय प्राधिकरण ने उल्लेख किया था कि सहयोजित लागतों के पहलुओं पर प्रति पोर्ट संव्यवसहार प्रभार की समीक्षा अलग से की जाएगी और इन प्रभारों में मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाताओं द्वारा विशिष्ट पोर्टिंग कोड सृजित करने और विभिन्न चरणों में एसएमएस भेजने की लागत शामिल होगी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 22 फरवरी, 2019 (इसके बाद में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को अद्यतन किया गया) को ''मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के लिए प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और अन्य संबंधित प्रभारों की समीक्षा'' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। परामर्श पत्र के माध्यम से भादूविप्रा ने अन्य बातों के साथ टिप्पणियां मांगी कि क्या एमएनपीएसपी को प्राप्त एमएनपी अनुरोधों अथवा सफलतापूवक्र पोर्ट किए गए नंबरों की कुल संख्या पर 'प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार' की गणना करते समय विचार किया जाएगा ?

डाटा की जांच करने पर यह पाया गया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुल पोर्टिंग के लिए किए गए अनुरोधों और सफलतापूर्वक किए गए पोर्टों के बीच में अंतर में कमी आ रही है और सातवें संशोधन के लागू होने के बाद इसमें और कमी आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, एमएनपीएसपी को असफल पोर्टिंग अनुरोधों पर भी लागत वहन करना पडता है। इसके अतिरिक्त, अनेक मामलों में पोर्टिंग सबंधी अनुरोधों के असफल होने के कई कारण हो सकते हैं जो एमएनपीएसपी के नियंत्रण में नहीं होते हैं। इसके प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों में अधिकांश हितधारकों ने पोर्ट हेतु किए गए अनुरोधों की कुल संख्या पर विचार करने का सुझाव भी दिया है। तदनुसार, प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार के निर्धारण के लिए प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लिया है।

इस संशोधन के माध्यम से, अन्य लघु परिवर्तनों के अतिरिक्त, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी संशोधन विनियम, 2009 के उपबंध को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 के साथ जोड़ा गया है।

भादूविप्रा की बेबसाइट www.trai.gov.in पर दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (आठवां संशोधन) विनियम, 2019 उपलब्ध है।

- **दिनांक 01 नवम्बर, 2019 का ''आधारभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता मानदंड (सातवां संशोधन) विनियम, 2019''**

  भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को ''आधारभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानदंड (सातवां संशोधन) विनियम, 2019'' अधिसूचित किया ताकि कॉल किए जाने वाले पक्ष के लिए अलर्ट की अवधि विनिर्दिष्ट की जा सके। ब्योरा नीचे दिया गया है :–

  (क) पहुंच प्रदाताओं को सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और आधारभूत टेलीफोन सेवा पर आने वाले कॉल के लिए अलर्ट की अवधि समय क्रमशः 30 सकेंड और 60 सकेंड बनाए रखना होगा चाहे कॉल किए जाने वाले पक्ष द्वारा कॉल न उठाया जाए या अस्वीकृत कर दिया जाए।

  (ख) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की स्थिति में 30 सकेंड और आधारभूत टेलीफोन सेवा की स्थिति में 60 सकेंड समाप्त होने पर कॉल समाप्त होने वाला नेटवर्क इनकमिंग वॉयस कॉल जारी करता है और कॉल आरंभ होने वाले नेटवर्क पर कॉल रिलीज संदेश भेजता है। तथापि, उद्गम नेटवर्क अंतिम नेटवर्क से कॉल रीलिज संदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 90 सकेंड के बाद अनुत्तरित कॉल रिलीज कर सकता है।

  (ग) यह विनियम, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के बाद लागू हुआ।

- **दिनांक 17 दिसंबर 2019 का ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019''**

  भादूविप्रा ने दिनांक 17 दिसंबर, 2019 को ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया जो वॉयरलेस से वॉयरलेस घरेलू कॉल समापन प्रभार के संबंध में 'बिल एंड कीप (बीएके) प्रणाली' की प्रयोज्यता की तिथि में संशोधन निर्धारित करता है।

  विनियमों की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :–

  (क) दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तक वॉयरलेस से वॉयरलेस घरेलू कॉलों के लिए समापन प्रभार प्रति मिनट रुपये 0. 06 (छह पैसा मात्र) बना रहेगा।

  (ख) दिनांक 01 जनवरी, 2021 से वॉयरलेस से वॉयरलेस घरेलू कॉल के लिए समापन प्रभार शून्य होगा।

प्रसारण क्षेत्र

- **दिनांक 04 सितंबर 2019 का ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन करारों का रजिस्टर और इस प्रकार के अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019''**

  भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 04 सितंबर, 2019 को ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन करारों का रजिस्टर और इस प्रकार के अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019'' जारी किया। इस विनियम का उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और गैर–भेदभाव को बढ़ावा देना है। नए विनियम के अनुसार और टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक प्रसारक और वितरक को संदर्भ अंतर्संयोजन पेशकश (आरआईओ) को दायर करना अपेक्षित है। प्रारंभ में, एक लाख से कम औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार वाले वितरक को अंतर्संयोजन करारों के ब्योरे की रिपोर्ट करने की बाध्यता से छूट दी गई है ताकि व्यवसाय करने में सुलभता हो सके और सीमित संसाधनों वाले ऐसे एमएसओ पर विनियामकारी भार को कम किया जा सके। नए विनियम के तहत इलेक्ट्रानिक पद्धति में ऑनलाइन भरने की परिकल्पना की गई है। प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट किया कि केवल अनुपालन अधिकारी से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने को छोड़कर नए विनियम 120 दिनों में प्रभावी होगी। बीच की अवधि, सेवा प्रदाताओं को सुलभ अनुपालन की तैयारी करने हेतु सक्षम बनाएगी।

- **दिनांक 09 अक्तूबर, 2019 का ''दूरसंचार सेवाएं (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019''**

  भादूविप्रा ने दिनांक 09 अक्तूबर, 2019 को ''दूरसंचार सेवाएं (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019'' जारी किया। इस दूसरे संशोधन के माध्यम

से, प्राधिकरण डीपीओ को अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध चैनलों/बुके तक उपभोक्ताओं को पहुंच प्रदान करने और अपनी पसंद के चैनलों तथा बुके (जोड़ने/हटाने) के चयन में सुलभता, अपने सब्सक्रिप्शन को देखने और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के एपीआई को साझा करके भादूविप्रा के एप/पोर्टल के माध्यम से बदलने की अनुमति देने हेतु अधिदेश देता है।

- **दिनांक 30 अक्तूबर 2019 का ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवांए अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019''**

  भादूविप्रा ने दिनांक 30 अक्तूबर, 2019 को ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019'' जारी किया। इस विनियम के माध्यम से प्राधिकरण ने अंतर्संयोजन विनियम, 2017 की अनुसूची– ।।। में विशेषकर निम्नवत विषयों पर (i) लेखापरीक्षा की अनुसूची और क्षेत्रविस्तार (ii) कंडीशनल पहुंच सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) की संव्यवहार क्षमता (iii) सेट टॉप बॉक्सों में ओवर्ट और कवर्ट फिंगरप्रिंट हेतु सहायता, और (vi) सभी पे–चैनलों के लिए 'वाटरमार्किंग नेटवर्क लोगो' संशोधित किया।

  अनुसूची को इस प्रकार से संशोधित किया गया है कि पे– टेलीविजन प्रसारण सेवाओं के वितरक दो वार्षिक लेखापरीक्षाओं के बीच छह माह का न्यूनतम अंतराल रखेंगे और अधिकतम समय अंतराल 18 माह का होगा। इसी प्रकार, सीएएस और एसएमएस प्रणालियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम संव्यवहार क्षमता को पहले के 10 प्रतिशत की बजाय संशोधित करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है। नए ढांचे के लागू होने से सभी वितरक ऐसे एसटीबी लगा रहे हैं जो 'कोवर्ट और ओवर्ट फिंगरप्रिंट' का अनुपालन करते हों। प्राधिकरण ने पहले से इस क्षेत्र में लगाए गए एसटीबी के कारण इस पहलु पर नया दृष्टिकोण अपनाया और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम 2017 की अनुसूची– III में मौजूदा प्रावधानों को संशोधित किया है। संशोधित विनियम से पूरी तरह से विश्वास आधारित लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करने में सहायता मिलेगी जिसे पैनलबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा विनियमों के अनुरूप किया जाएगा।

- **''ऑडियो कॉफ्रेंसिंग ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस ढांचा'' विषय पर दिनांक 24 दिसंबर, 2019 की सिफारिशें**

  दूरसंचार विभाग ने दिनांक 19 जनवरी, 2016 के अपने पत्र संख्या 846–53/2015–सीएस के तहत ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल/'यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विसेज' (यूएमएस) के लिए लाइसेंस जारी करने के मुद्दे संबंधी निबंधनों और शर्तों की समीक्षा के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी। इस संबंध में भादूविप्रा ने दिनांक 14 जून, 2016 को ''ऑडियो कॉफ्रेंसिंग ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस ढांचा'' विषय पर परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से प्राप्त लिखित टिप्पणियों और दिनांक 30 सितंबर, 2016 को हुए खुला मंच चर्चा में हितधारकों के विचारों के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''ऑडियो कॉफ्रेंसिंग ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस ढांचे'' के संबंध में अपने सिफारिशें दी। हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 के अपने पत्र के तहत सूचित किया कि ''ऑडियो कॉफ्रेंसिंग ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस ढांचा'' विषय पर दिनांक 16 दिसंबर, 2016 को भादूविप्रा के सिफारिशों पर विचार किया गया और सिफारिश संख्या 4 के अलावा अन्य सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। सिफारिश संख्या 4 भादूविप्रा के ''लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार की गणना हेतु राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा'' संबंधी दिनांक 06 जनवरी, 2015 की पूर्व सिफारिशों को दोहराती है जो एक अलग सिफारिश है, तथापि, इस पर अलग से चर्चा की जानी है। इसलिए, दूरसंचार विभाग (i) वित्तीय बैंक गारंटी (ii) दांडिक उपबंध, और (iii) मौजूदा ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल/यूएमएस लाइसेंस करार/लाइसेंस से संबंधित बिंदुओं पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी।

  इस संबंध में, दिनांक 16 दिसंबर, 2016 के ''ऑडियो कॉफ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग ढांचा'' विषय पर किए गए सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के पिछले संदर्भ पर प्राधिकरण को दिनांक 16 दिसंबर, 2019 को एक प्रस्तुति दी गई। प्राधिकरण ने विचार करने के उपरांत ''ऑडियो कॉफ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग ढांचा'' पर भादूविप्रा की सिफारिशों के संदर्भ में प्रस्तावित प्रतिक्रिया को अनुमोदित किया।

IV. निदेश

दूरसंचार क्षेत्र

- **प्रशुल्कों के प्रकाशन हेतु उपबंध वापस लेने से संबंधित सभी पहुंच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जारी दिनांक 03 अप्रैल, 2019 के निदेश**

दूरसंचार सेवाओं में प्रशुल्कों में पारदर्शिता के मुख्य उद्देश्य को बनाए रखने के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 16 जनवरी, 2012 के निदेष के तहत सभी दूरसंचार पहुंच सेवा प्रदाताओं को अन्य बातों के साथ– साथ निम्नवत निदेश दिया–

(i) इस निदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में पोस्ट–पेड सब्सक्राइबरों के लिए सभी प्रशुल्क प्लॉनों को सेवा क्षेत्रवार प्रकाशित करें और उपभोक्ता सेवा केन्द्रों, 'प्वाईंट ऑफ सेल', खुदरा विक्रय केन्द्रों और दूरसंचार पहुंच सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर सब्सक्राइबर को प्रारूप 'क' में ऐसे प्रशुल्क प्लॉन उपलब्ध कराएं;

(ii) इस निदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में पोस्ट–पेड सब्सक्राइबरों के लिए सभी प्रशुल्क प्लॉनों को सेवा क्षेत्रवार प्रकाशित करें और उपभोक्ता सेवा केन्द्रों, 'प्वाईंट ऑफ सेल', खुदरा विक्रय केन्द्रों और दूरसंचार पहुंच सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर सब्सक्राइबर को प्रारूप 'ख' में ऐसे प्रशुल्क प्लॉन उपलब्ध कराएं;

(iii) यह सुनिश्चित करें कि जब किन्हीं प्रशुल्क प्लॉनों में कोई परिवर्तन होता है, तो उपरोक्त उप–पैरा (i) और (ii) में उल्लिखित निर्धारित प्रारूपों में प्रकाशित प्रशुल्क प्लॉनों के बारे में सेवा प्रदाता की वेबसाइट और उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर प्रत्येक बार अद्यतन किया जाए और उनके 'प्वाईंट ऑफ सेल', खुदरा विक्रय केन्द्रों पर जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूपों में अद्यतन प्रशुल्क प्लॉन उपलब्ध कराए जाएं।

(iv) इस निदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर संबंधित प्रारूपों में सभी प्रशुल्क प्लॉनों और वेबसाइट के पते और उपभोक्ता सेवा केन्द्रों के सम्पर्क ब्योरों को सेवा क्षेत्र के कम–से–कम एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित करे और ऐसे प्रकाशन को अनधिक छह माह के अंतराल पर दोहराया जाए; और

(v) जैसा कि उपयुक्त उप–पैरा (iv) में निदेश दिया गया है, ऐसे प्रकाशन के 15 दिन के भीतर, प्राधिकरण को समाचार पत्रों के नाम और प्रकाशन की तिथि के साथ प्रकाशन के बारे में अभिपुष्टि करें।

और जबकि, निष्प्रभावी, अप्रचलित विनियमों का पता लगाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उनके संघों के प्रतिनिधियों की समिति का गठन किया गया, जिनका लोप किया जा सकता है और समिति ने दिनांक 16 जनवरी, 2012 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के निदेश, जिसमें समाचार पत्रों में प्रशुल्क प्लॉनों के प्रकाशन का अधिदेशित किया गया है, के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा;

समिति ने प्रत्येक छह माह के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में सूचना के प्रकाशन के अधिदेश को हटाने की सिफारिश की क्योंकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अपने संबंधित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशनों पर अपने उत्पादों के बारे में सभी सूचना देना आरंभ कर दिया है;

चर्चा की प्रक्रिया के दौरान और दिनांक 17 फरवरी, 2017 को जारी ''प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामक सिद्धांत'' विषय पर खुली मंच चर्चा के दौरान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण, समाचार पत्रों में प्रशुल्क के प्रकाशन की पद्धति को बंद कर सकता है क्योंकि यह उद्देश्य को पूरा नहीं करता है क्योंकि प्रशुल्क प्लॉन परिवर्तनशील होते हैं और प्री–पेड सेवा की स्थिति में विशेष प्रशुल्क वॉउचर (एसटीवी)/कॉम्बो वॉउचर (सीवी)/ 'प्रोमोशनल ऑफरों' तथा 'पोस्ट–पेड' सेवा की स्थिति में 'एड–ऑन प्रोमोशन ऑफरों' के साथ देखने की आवश्यकता होती है।

और जबकि, प्राधिकरण ने उपरोक्त परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों के विचारों और उपरोक्त समिति के सिफारिशों पर भी विचार किया और निर्णय लिया है कि समाचार पत्रों में प्रशुल्क प्लॉनों के प्रकाशन की आवश्यकता को बंद किया जाए;

प्राधिकरण ने 16 जनवरी, 2012 के निदेश की खंड 7(iv) और 7(v) को वापस ले लिया। उक्त निदेश के खंड 7(i) से 7(iii) के सभी अन्य सभी खंड लागू रहेंगे।

- **अलग–अलग ऑफरों की पेशकशों के संबंध में सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को दिनांक 03 अप्रैल, 2019 का निदेश**

प्राधिकरण ने इस निदेश के तहत इस निदेश के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक प्रत्येक एलएसए के लिए अलग–अलग पेशकश का ब्योरा मासिक आधार पर निर्धारित प्रारूप में देने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं को निदेश दिया, जिसमें निम्नवत शामिल हैं –

(क) उक्त प्लॉन, जिसमें अलग–अलग ऑफर की पेशकश की गई है, में सब्सक्राइबर(रों) को दरों और संबंधित निबंधन और शर्तों का ब्योरा, सेवा की प्रमात्रा, प्रशुल्क प्लॉन का नाम और सब्सक्रिप्शन की वैधता अवधि एवं सब्सक्राइबर को उपलब्ध लाभ का ब्योरा;

(ख) प्रत्येक माह के अंत में प्रत्येक प्रशुल्क प्लॉन में अलग–अलग ऑफर का लाभ उठाने वाले सब्सक्राइबरों की संख्या;

(ग) इस बात की घोषणा कि उस खंड/वर्ग में आने वाले मौजूदा सभी उपभोक्ताओं को ऐसे अलग–अलग ऑफर के लाभ उपलब्ध हैं और गैर–भेदभाव के सिद्धांत का कठोरता से अनुपालन किया गया है; इसके बाद, अप्रैल, 2019 से प्रत्येक माह अलग–अलग ऑफर्स का, उपरोक्त उल्लेखित ब्योरा, भादूविप्रा को माह के अंतिम दिन से दस कार्य दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है।

- **देश के बाहर से आरंभ होने वाले मिस्ड कॉल (वांगिरी कॉल) पर दिनांक 22 अप्रैल, 2019 का निदेश**

भादूविप्रा ने इस निदेश के माध्यम से दिनांक 07 सितंबर, 2012 के अपने पहले निदेश को वापस ले लिया।

- **मैसर्स टीटीएसएल को प्रीपेड मोबाइल सब्सक्राइबरों के शेष राशि और पोस्ट पेड सब्सक्राइबरों की प्रतिभूति जमा वापस करने के संबंध में दिनांक 10 जून, 2019 का निदेश**

मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने सूचित किया कि 800 मेगाहट्र्ज में प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम के अभ्यर्पण के अनुसरण में वह गुजरात, कोलकाता, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व), राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार और ओडिशा के सेवा क्षेत्रों में सीडीएमए प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अपनी सेवाओं को बंद कर रहा है।

तदनुसार, मैसर्स टीटीएसएल को दिनांक 10 जून, 2019 को निदेश जारी किया गया कि इन लाइसेंस प्राप्त सर्विस क्षेत्रों के प्रीपेड मोबाइल सब्सक्राइबरों की अव्ययित शेष राशि और पोस्ट–पेड सब्सक्राइबरों की प्रतिभूति जमा राशि को वापस करने का ब्योरा प्रस्तुत करें।

- **ऐसे सभी वाणिज्यिक एसएमएस जिन्हें सामान्य दस अंकीय मोबाइल नंबर के बिना, केवल प्रेषक की पहचान के साथ अक्षर–अंकीय पहचान से पूर्व सेवा प्रदाता और सेवा क्षेत्र के कोड को लगाने संबंधी दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के निदेश संख्या 311–31/2012–क्यूओएस का दिनांक 15 जुलाई, 2019 को संशोधन**

इस निदेश के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पूर्व के निदेशों के अनुबंध 'क' में दिए गए सेवा प्रदाताओं के कोड की सूची संशोधित की है।

- **प्राधिकरण को निष्पादन निगरानी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक 06 अगस्त, 2019 का निदेश**

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (iv) के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत शक्तियों और टीसीसीसीपीआर विनियम, 2018 के उपबंधों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 06 अगस्त, 2019 के निदेश के माध्यम से सितंबर, 2019 को समाप्त माह से सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को मासिक आधार पर और प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत से दस दिनों के भीतर निम्नवत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है:

(क) निदेश के अनुबंध I और II में विनिर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार निश्पादन निगरानी रिपोर्ट लिखित रूप में प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत् रूप में हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रानिक स्वरूप में;

(ख) निदेश के अनुबंध III, IV, V और IV में विनिर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार निश्पादन निगरानी रिपोर्ट को इलेक्ट्रानिक पद्धति से जमा करना।

- **सेवा क्षेत्र कोड और सेवा प्रदाता कोड उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करने के संबंध में दिनांक 17 अक्तूबर, 2019 का निदेश**

भादूविप्रा ने मुख्य विनियम दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) विनियम, 2009 के लिए दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया था।

इन संशोधित विनियमों के माध्यम से विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) सृजित करने हेतु तंत्र में बड़ा परिवर्तन किया गया है। पोर्टिंग के लिए अर्हता शर्तों की पूर्व वैधता, मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) द्वारा यूपीसी के सृजन का निर्धारण करेगा। यह नए ढांचे में सुचारू पोर्टिंग सुनिश्चित करेगा, इस प्रकार यह मोबाइल सब्सक्राइबरों के लिए पोर्टिंग प्रक्रिया को तीव्र और सुविधाजनक बनाएगा। नई प्रक्रिया के अनुसार जम्मू और कश्मीर, असम तथा पूर्वोत्तर के एलएसए के अलावा जहां यूपीसी की वैधता अवधि अभी भी 30 दिन की होगी, सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के लिए यूपीसी की वैधता 04 दिनों की होगी।

अंतर्लाइसेंस सेवा क्षेत्र (इंट्रा–एलएसए) के स्वरूप के वैयक्तिक पोर्टिंग अनुरोधों को 3 कार्य दिवस में पूरा किया जाएगा जबकि अंतः लाइसेंस सेवा क्षेत्र (इंटर –एलएसए) स्वरूप के पोर्टिंग अनुरोधों और कारपोरेट श्रेणी (इंट्रा–एलएसए और इंटर–एलएसए) के अंतर्गत सभी पोर्टिंग अनुरोधों को 5 कार्य दिवस में पूरा किया जाएगा। (उदाहरण के लिए – कर्नाटक एलएसए के मोबाइल सब्सक्राइबर 'एक्स' जो कर्नाटक एलएसए के अंदर अपने प्रचालक को बदलना चाहता है, के पोर्टिंग अनुरोध को 03 कार्य दिवस में पूरा किया जाएगा, जबकि व्यक्ति 'वाई' (वैयक्तिक) जो अपने मोबाइल नंबर को कर्नाटक एलएसए से दिल्ली एलएसए सेवा क्षेत्र में पोर्ट कराना चाहता है, उसके सर्विस अनुरोध को 05 कार्य दिवस में पूरा किया जाएगा।)

- **एयरसेल ग्रुप के सब्सक्राइबरों को अपने मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए 31 अक्तूबर, 2019 तक अंतिम अवसर देने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और एमएनपीएसपी को दिनांक 17 अक्तूबर, 2019 का निदेश**

मैसर्स एयरसेल लिमिटेड और मैसर्स डिशनेट वॉयरलेस लिमिटेड (दोनों को सामूहिक रूप से मैसर्स एयरसेल ग्रुप कहा जाएगा) ने दिनांक 22 फरवरी, 2018 को अपने पत्र के तहत प्राधिकरण से अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे लाइसेंस सेवा क्षेत्रों जहां उसका सब्सक्राइबर आधार दस लाख से अधिक है, में विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) सृजित करने के लिए अतिरिक्त कोड आवंटित करने; जहां मैसर्स एयरसेल ग्रुप के नेटवर्क में एक्टीवेशन की तिथि से 90 दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है ऐसे सब्सक्राइबरों के मोबाइल नंबर को पोर्ट करने और 45 दिनों की यूपीसी वैधता बढ़ाने ताकि सुगमता से पोर्टिंग की जा सके, की अनुमति देने के लिए उपयुक्त निदेश जारी करने का अनुरोध किया।

मैसर्स एयरसेल ग्रुप के अनुरोध को मद्देनजर रखते हुए और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मुम्बई, पूर्वोत्तर, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में मैसर्स एयरसेल ग्रुप के सब्सक्राइबरों के लिए मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी को सुकर

बनाने को ध्यान में रख कर भादूविप्रा ने दिनांक 27 फरवरी, 2018 को यूपीसी सृजित करने हेतु अतिरिक्त कोड आवंटित करने का निदेश जारी किया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैसर्स एयरसेल ग्रुप के सब्सक्राइबर अपने पसंद के सेवा प्रदाताओं में अपने मौजूदा मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने में सक्षम हों, और उपरोक्त लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में अपनी सेवाए बंद करने के बाद वे निर्बाध मोबाइल सेवाएं जारी रख सकें, इसलिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के निदेश के तहत मैसर्स एयरसेल ग्रुप को दिनांक 27 फरवरी, 2018 के निदेश के अनुसरण में सृजित सभी यूपीसी और उस निदेश की तिथि से पूर्व सृजित यूपीसी, जो उस तिथि को वैध थे, की वैधता को अगले निदेश/आदेश तक बढ़ाने का निदेश दिया था। दिनांक 27 फरवरी, 2018 (निदेश जारी होने की तिथि) से दिनांक 31 अगस्त, 2019 तक मैसर्स एयरसेल ग्रुप के लगभग 19 मिलियन सब्सक्राइबरों ने पोर्टिंग सुविधा का लाभ उठाया।

भादूविप्रा ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी विनियम, 2009 के लिए दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया है जिससे मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन किया गया है और यह दिनांक 16 दिसंबर, 2019 से प्रभावी होगा।

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 के जारी होने के पश्चात्, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 21 दिसंबर, 2018 को संशोधित एमएनपी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए समिति गठित करने हेतु मैसर्स एयरसेल ग्रुप सहित सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से नामांकन मांगे थे और भादूविप्रा के अनुरोध के प्रत्युत्तर में मैसर्स एयरसेल ग्रुप ने सूचित किया कि चूंकि वह किसी भी सर्किल में अब प्रचालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसे जारी कार्यान्वयन क्रियाकलापों से छूट प्रदान की जाए।

लाइसेंस के शर्तों के अनुसार मैसर्स एयरसेल ग्रुप सहित सभी लाइसेंस प्राप्त प्रचालकों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे निश्चित रूप से मोबाइल सब्सक्राइबरों के हित में संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान बनाए। तदनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मैसर्स एयरसेल ग्रुप को दिनांक 23 अप्रैल, 2019 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें उसे सुझाव दिया गया कि जब कभी वह भविष्य में लाइसेंस के तहत सेवा प्रदान करने का निर्णय लेता है, वह संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए दोनों मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करे।

इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मुम्बई, पूर्वोत्तर के राज्य, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) ओर पश्चिम बंगाल के लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में स्थित मैसर्स एयरसेल ग्रुप के सब्सक्राइबर जिन्हें अपने मोबाइल नंबर को अभी पोर्ट कराना है, उन्हें दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 तक अथवा इससे पूर्व अपने पोर्टिंग अनुरोध जमा करके अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने की मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी की सुविधा का लाभ उठाने का अंतिम अवसर दिया गया था।

प्रसारण क्षेत्र

- **प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचा के कार्यान्वयन से संबंधित टेलीविजन चैनलों के वितरकों के लिए दिनांक 24 जनवरी, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से प्राधिकरण ने सभी टेलीविजन चैनलों (डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) प्रचालकों, बहु प्रणाली प्रचालकों (एमएसओ), हेडएंड इन द स्काई (एचआईटीएस) प्रचालकों और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) प्रचालकों) को दिनांक 01 फरवरी, 2019 से नए विनियामक ढांचे के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने का निदेश दिया।

- **प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचा के कार्यान्वयन से संबंधित टेलीविजन चैनलों के प्रसारकों के लिए दिनांक 24 जनवरी, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने टेलीविजन चैनलों के सभी प्रसारकों को दिनांक 01 फरवरी, 2019 से नए विनियामक ढांचे के सभी प्रावधानों को अनुपालन करने का निदेश दिया।

- **चैनलों को इलेक्ट्रानिक प्रोग्राम गाइड में सूचीबद्ध करने के संबंध में टेलीविजन चैनलों के वितरकों को दिनांक 22 फरवरी, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि प्रसारकों द्वारा यथा घोषित समान जेनरे के टेलीविजन चैनलों को लगातार एक साथ रखा जाए और एक चैनल केवल एक ही स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा और ऐसा नहीं होने पर ऐसे वितरकों के विरूद्ध भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

- **टेलीविजन चैनलों के प्रदर्शित किए जाने के संबंध में टेलीविजन चैनलों के सभी प्रसारकों और वितरकों को जारी दिनांक 03 दिसंबर, 2018 के निदेश का दिनांक 28 मार्च, 2019 को संशोधन**

  इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने टेलीविजन चैनलों के सभी प्रसारकों और वितरकों को सेवा प्रदाताओं के हितों का संरक्षण करने और इस क्षेत्र का एकसमान विकास सुनिश्चित करने का निदेश दिया, पहले से हुए करारों के लिए दिनांक 03 दिसंबर, 2018 के निदेश के अनुपालन की तिथि को बढ़ाने का निदेश दिया और इसके द्वारा टेलीविजन चैनलों के सभी प्रसारकों और वितरकों को दिनांक 03 दिसंबर, 2018 के निदेश का यथा शीघ्र परंतु दिनांक 31 मई, 2019 तक कार्यान्वयन करने का निदेश दिया।

- **मैसर्स फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से प्राधिकरण ने निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

  (क) प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नए विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियमों का उल्लंघन करके उपभोक्ताओं को चैनलों के चयन में पसंद के चैनलों की अनुपलब्धता और उपभोक्ताओं को अपने पैक के चैनल लेने के लिए बाध्य करने के संबंध में।

  (ख) उनके वेबसाइट की समीक्षा की और पाया कि उपभोक्ताओं को अपने पसंद के चैनल चुनने में सक्षम बनाने वाले हाइपरलिंक 'उपभोक्ता कार्नर' वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है जो सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 के उपबंधों का उल्लंघन है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में मैसर्स हैथवे प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 16 अप्रैल, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से प्राधिकरण ने निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स हैथवे प्राइवेट लिमिटेड को निदेश दिया :–

  (क) उक्त डीपीओ ऐसे बुके का की पेशकश कर रहें है जिनमें एफटीए और पे–चैनल, दोनों शामिल हैं।

  (ख) ऐसे सब्सक्राइबर जो पहले ही एक वर्श की अग्रिम राशि जमा कर चुके हैं, ऐसे उपभोक्ताओं के पे–चैनल को उनकी अनुमति के बिना हटा दिया गया है और केवल एफटीए चैनल दिखाए जा रहे हैं।

  (ग) अधिकांश समय उपभोक्ता अपनी शिकायतों के लिए मैसर्स हैथवे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के निशुल्क नंबर पर सम्पर्क नहीं कर पा रहे हैं।

  (घ) सब्सक्राइबर, वेबसाइट के माध्यम से अपने पसंद के विकल्प का चयन नहीं कर पा रहे हैं और निम्नवत संदेश प्रदर्शित किया जा रहा है :– किसी भी प्रकार के नवीकरण के लिए कृपया अपने स्थानीय केबल प्रचालक को कॉल करें।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स सिटी नेटवर्क लिमिटेड को दिनांक 16 अप्रैल, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से प्राधिकरण ने मैसर्स सिटी नेटवर्क लिमिटेड को निम्नवत मुद्दे पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निदेश दिया :–

  (क) उक्त डीपीओ उपभोक्ताओं पर चैनल/पैक थोप रहे हैं।

  (ख) सब्सक्राइबर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।

  (ग) उक्त डीपीओ उपभोक्ताओं को किए गए भुगतान की रसीद मुद्रित प्रारूप में नहीं दे रहे हैं।

  (घ) सब्सक्राइबर अपने पसंद के चैनलों का चयन करने के लिए अपने 'अकाउंट' में 'लॉगिन' नहीं कर पा रहे हैं।

- **प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड को दिनांक 16 अप्रैल 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से प्राधिकरण ने मैसर्स आईएमसीएल को निम्नवत मुद्दे पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया:–

  (क) मैसर्स आईएमसीएल की वेबसाइट पर चैनल के चयन की प्रक्रिया प्रयोक्ता अनुकूल नहीं है (अलाकार्ट चैनलों का चयन करते समय चैनलों के जेनरे–वार सूची उपलब्ध नहीं है);

  (ख) मैसर्स आईएमसीएल सेवा प्रभार के नाम पर सब्सक्राइबरों से अधिक शुल्क प्रभारित कर रहा है;

  (ग) मैसर्स आईएमसीएल उपभोक्ताओं को चैनलों/पैक के लिए बाध्य कर रहा है;

  (घ) सब्सक्राइबर चयन हेतु अपने विकल्प का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स डेन नेटवर्क्स लिमिटेड को दिनांक 16 अप्रैल, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से प्राधिकरण ने मैसर्स डेन नेटवर्क्स लिमिटेड को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

  (क) मैसर्स डेन नेटवर्क्स लिमिटेड के वेबसाइट पर चैनल चयन की प्रक्रिया प्रयोक्ता अनुकूल नहीं है (अलाकार्ट चैनलों का चयन करते समय चैनलों के 'ढूढ़ने का विकल्प' उपलब्ध नहीं है)। चैनलों को चयन करने के उपरांत वेबसाइट पर यह प्रदर्शित होता है कि एलसीओ को राशि का भुगतान करने के बाद एक्टीवेशन होगा;

  (ख) उक्त डीपीओ उपभोक्ताओं को चैनलों/पैक के लिए बाध्य कर रहा है। सब्सक्राइबर अपने विकल्प का चयन नहीं कर पा रहे हैं।

  (ग) उक्त डीपीओ उपभोक्ताओं को भुगतान की रसीद मुद्रित प्रारूप में नहीं दे रहा है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड को दिनांक 23 अप्रैल, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से प्राधिकरण ने मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

  (क) उक्त डीटीएच प्रचालक, उपभोक्ताओं को उनकी सहमति के बिना तथा अतिरिक्त एनसीएफ के बिना उनकी नापसंद के फ्री–टू–एयर चैनलों के बुके थोप रहा है। यह सब्सक्राइबरों द्वारा चुने गए चैनलों के अतिरिक्त है।

(ख) अधिकांश समय, उपभोक्ता निशुल्क नंबर पर मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड को अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को दिनांक 24 अप्रैल, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

(क) उक्त डीटीएच प्रचालक उपभोक्ताओं को उनकी नापसंद के फ्री–टू–एयर चैनलों का बुके और उनकी सहमति के बिना थोप रहे हैं। यह सब्सक्राइबरों द्वारा चुने गए चैनलों के अतिरिक्त हैं और निम्नवत संदेश प्रदर्शित किया जा रहा है :– यह किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना फ्री–टू–एयर बुके हैं। यदि आपने किसी पे–चैनल का चयन किया है तो यह बुके आपके एनसीएफ को प्रभावित नहीं करेगा।

(ख) अधिकांश बार, उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड के टोल–फ्री नंबर से संपर्क नहीं कर पाते हैं।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड को दिनांक 01 मई 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

(क) मैसर्स इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड ने सब्सक्राइबरों के दीर्घावधि प्लॉनों को 'माइग्रेट' परिवर्तित कर दिया है और सब्सक्राइबरों द्वारा चुने गए चैनलों को बंद कर दिया है तथापि कि प्रचालक अग्रिम में राशि लेने के बावजूद उपभोक्ताओं को न तो सेवा दे रहे हैं और न ही उपभोक्ताओं को राशि वापस कर रहे है;

(ख) सब्सक्राइबर को करार अवधि तक पूर्व दीर्घावधि प्लॉन से किसी नए प्लॉन में 'माइग्रेट' करने से रोकना, जब तक कि सब्सक्राइबर इसका विरोध नहीं करता अथवा दीर्घावधि प्लॉन की वैधता समाप्त न हो जाए, इनमें जो भी पहले हो;

(ग) ऐसे सब्सक्राइबरों की मूल वैधता तिथि के साथ पूर्व दीर्घावधि प्लॉन को बहाल करना जिसे किसी नए प्लॉन में परिवर्तित कर दिया गया है, जब तक कि सब्सक्राइबर ने स्वयं इसका चयन नहीं किया हो;

(घ) इस निदेश के जारी होने की तिथि से 7 दिन के भीतर दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 2017 की अनुपालन रिपोर्ट जमा करें।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी लिमिटेड को दिनांक 01 मई, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी लिमिटेड को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

(क) उपरोक्त पैरा 15 में उल्लिखित मुद्दों का समाधान करने और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 और दूरसंचार सेवा (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के उपबंधों का अनुपालन करना;

(ख) सब्सक्राइबर को करार की अवधि तक पूर्व के दीर्घावधि प्लॉन से किसी नए प्लॉन में जाने से रोकना जब तक सब्सक्राइबर इसे त्यागना नहीं चाहे अथवा दीर्घावधि प्लॉन की वैधता समाप्त न हो जाए, इनमें जो भी पहले हो;

(ग) ऐसे सब्सक्राइबरों को मूल वैधता तिथि के साथ पूर्व के दीर्घावधि प्लॉन को बहाल करना जिसे किसी नए प्लॉन में अंतरित कर दिया गया है, जब तक कि उसने स्वयं इसका चयन नहीं किया हो;

(घ) निदेश के जारी होने की तिथि से 7 दिन के भीतर दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 2017 की अनुपालन रिपोर्ट जमा करें।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को दिनांक 01 मई, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को निम्नवत् मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

(क) सब्सक्राइबर को करार की अवधि तक पूर्व के दीर्घावधि प्लॉन से किसी नए प्लॉन में जाने से रोकना जब तक सब्सक्राइबर इसे त्यागना नहीं चाहे अथवा दीर्घावधि प्लॉन की वैधता समाप्त न हो जाए, इनमें जो भी पहले हो;

(ख) ऐसे सब्सक्राइबरो को मूल वैधता तिथि के साथ पूर्व दीर्घावधि प्लॉन को बहाल करना जिसे किसी नए प्लॉन में अंतरित कर दिया गया है, यदि उसने स्वयं इसका चयन नहीं किया हो;

(ग) निदेश के जारी होने की तिथि से 7 दिन के भीतर दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 2017 की अनुपालन रिपोर्ट जमा करें।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को दिनांक 01 मई, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

(क) सब्सक्राइबर को करार की अवधि तक पूर्व के दीर्घावधि प्लॉन से किसी नए प्लॉन में जाने से रोकना जब तक सब्सक्राइबर इसे त्यागना नहीं चाहे अथवा दीर्घावधि प्लॉन की वैधता समाप्त न हो जाए, इनमें जो भी पहले हो;

(ख) ऐसे सब्सक्राइबरो को मूल वैधता तिथि के साथ पूर्व दीर्घावधि प्लॉन को बहाल करना जिसे किसी नए प्लॉन में अंतरित कर दिया गया है, यदि उसने स्वयं इसका चयन नहीं किया हो;

(ग) निदेश के जारी होने की तिथि से 7 दिन के भीतर दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 2017 का अनुपालन रिपोर्ट जमा करें।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भोरेर एलो केबल एंड ब्रॉडबैंड प्रा0 लि0 को दिनांक 03 मई 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने भोरेर एलो केबल एंड ब्रॉडबैंड प्रा0 लि0 को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

(क) उक्त डीपीओ को अपने वेबसाइट पर 'सब्सक्राइबर कार्नर' की सुविधा प्रदान नहीं कर रहा है।

(ख) डीपीओ का कॉल सेन्टर आईवीआरएस को समर्थन नहीं करता है।

(ग) उक्त डीपीओ अपनी वेबसाइट पर एसटीबी योजनाओं को प्रकाशित नहीं कर रहा है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बारासत केबल टीवी प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 03 मई, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने बारासत केबल टीवी प्राइवेट लिमिटेड को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निदेश दिया :–

  (क) उक्त डीपीओ को अपने वेबसाइट पर 'कंज्यूमर कार्नर' और 'सब्सक्राइबर कार्नर' की सुविधा नहीं दे रहा है।

  (ख) निःशुल्क उपभोक्ता सेवा नंबर कार्य नहीं कर रहा है।

  (ग) डीपीओ का कॉल सेन्टर आईवीआरएस का समर्थन नहीं करता है।

  (ध) डीपीओ द्वारा 'कस्टमर केयर प्रोग्रामिंग सर्विस' अभी प्रदान नहीं की गई है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स डिजीकेबलकॉम सर्विसेज़ प्रा0 लि0 को दिनांक 03 मई, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स डिजीकेबलकॉम सर्विसेज़ प्रा0 लि0 को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

  (क) उक्त डीपीओ को अपनी वेबसाइट पर 'सब्सक्राइबर कार्नर' की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रहा है।

  (ख) डीपीओ का कॉल सेन्टर आईवीआरएस का समर्थन नहीं करता है।

  (ग) डीपीओ द्वारा 'कस्टमर केयर प्रोग्रामिंग सर्विस' आरंभ नहीं की गई है।

  (घ) सब्सक्राइबर बीएसटी में अपने पसंद के किसी चैनल का चुनाव नहीं कर पा रहा है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जीटीपीएल कोलकाता केबल एंड ब्रॉडबैंड परिसेवा लिमिटेड को दिनांक 03 मई, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स जीटीपीएल कोलकाता केबल एंड ब्रॉडबैंड परिसेवा लिमिटेड को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निदेश दिया :–

  (क) उक्त डीपीओ को अपने वेबसाइट पर 'सब्सक्राइबर कार्नर' की सुविधा प्रदान नहीं कर रहा है।

  (ख) डीपीओ का कॉल सेन्टर आईवीआरएस का समर्थन नहीं करता है।

  (ग) उक्त डीपीओ अपने वेबसाइट पर एसटीबी योजनाओं को प्रकाशन नहीं कर रहा है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स मल्टी रीच मीडिया प्रा0 लि0 को दिनांक 03 मई, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स मल्टी रीच मीडिया प्रा0 लि0 को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निदेश दिया :–

  (क) उक्त डीपीओ को अपने वेबसाइट पर 'सब्सक्राइबर कार्नर' की सुविधा प्रदान नहीं कर रहा है।

  (ख) डीपीओ का कॉल सेन्टर आईवीआरएस का समर्थन नहीं करता है।

  (ग) उक्त डीपीओ अपनी वेबसाइट पर एसटीबी योजनाओं को प्रकाशन नहीं कर रहा है।

(घ) डीपीओ द्वारा 'कस्टमर केयर प्रोग्रामिंग सर्विस' आरंभ नहीं की गई है।

(ङ) उक्त डीपीओ सब्सक्राइबरों पर उनके नापसंद के फ्री–टू–एयर चैनलों के बुके थोप रहा है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स गणपति केबल को दिनांक 08 मई, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स गणपति केबल को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

(क) प्राधिकरण ने मैसर्स गणपति केबल, मुबारिकपुर कैम्प, मोहाली, पंजाब का निरीक्षण करते समय पाया कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए वेबसाइट और उपभोक्ता सेवा चैनल उपलब्ध नहीं है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स सिटी केबल नेट (सीसीएन डिजिटल इंडिया) को दिनांक 22 मई, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने मैसर्स सिटी केबल नेट (सीसीएन डिजिटल इंडिया) को निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

(क) प्राधिकरण ने मैसर्स सिटी केबल नेट (सीसीएन डिजिटल इंडिया) का निरीक्षण करने पर वेबसाइट का आंशिक रूप से कार्य करना, उपभोक्ता सेवा केन्द्र और निशुल्क नंबर का उपलब्ध नहीं होना और 'कस्टमर केयर प्रोग्रामिंग सर्विस' का गैर–कार्यात्मक होना पाया गया जो कि पूर्ववर्ती पैराओं में यथा उल्लिखित, सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 के उपबंधों का उल्लंघन है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामकारी ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स चेतक केबल नेटवर्क को दिनांक 22 मई, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से प्राधिकरण ने मैसर्स चेतक केबल नेटवर्क को निम्नवत मुद्दों का अनुपालन प्रस्तुत करने का निदेश दिया :–

(क) प्राधिकरण द्वारा मैसर्स चेतक केबल नेटवर्क के निरीक्षण के दौरान पिछले पैराओं में संदर्भित, सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 के उपबंधों के उल्लंघन में वेबसाइट का आंशिक रूप से कार्यकरण ही पाया, उपभोक्ता सेवा केन्द्र तथा निःशुल्क नम्बर की गैर–मौजूदगी तथा 'कस्टमर केयर प्रोग्रामिंग सर्विस' का गैर–कार्यात्मक होना पाया गया।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामकारी ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स एम.सी. ट्रांसमीशन को दिनांक 23 मई, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने निम्नवत मुद्दों का अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स एम.सी. ट्रांसमीशन को निदेश दिया :–

(क) प्राधिकरण द्वारा मैसर्स एम.सी. ट्रांसमीशन के निरीक्षण के दौरान पिछले पैराओं में संदर्भित, सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 के उपबंधों के उल्लंघन में वेबसाइट का आंशिक रूप से कार्यकरण ही पाया, उपभोक्ता सेवा केन्द्र तथा निशुल्क नम्बर की गैर–मौजूदगी पाई तथा 'कस्टमर केयर चैनल' का गैर–कार्यात्मक होना पाया गया।

- **डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा (सेवा की गुणवत्ता के मानदंड तथा शिकायतों का निवारण) विनियम, 2007 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को दिनांक 08 जुलाई, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने निम्नवत मुद्दों का अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को निदेश दिया :–

(क) इस बात की पुष्टि करें कि क्या उपभोक्ताओं को आनुपातिक प्रतिदाय तथा वैकल्पिक चैनलों के बीच चयन करने के लिए उपभोक्ताओं को विकल्प दिया गया था;

(ख) उपभोक्ताओं को प्रतिदाय अथवा प्रतिदाय नीति के संबंध में विकल्प उपलब्ध कराने के लिए सब्सक्राइबरों के साथ किए गए सम्प्रेषण का ब्योरा उपलब्ध कराएं;

(ग) ऐसे सब्सक्राइबरों को किए गए प्रतिदाय के क्रेडिट का ब्योरा उपलब्ध कराएं जिन्हें आनुपातिक प्रतिदाय तथा वैकल्पिक चैनलों, यदि कोई हो तो, के बीच चयन करने के लिए विकल्प नहीं दिया गया;

(घ उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराएं जिसमें चैनलों को बंद करने की अवधि के लिए उपभोक्ताओं के खाते में जमा की गई प्रतिदाय राशि जमा की गई हो;

(ङ) ऐसे परिकलित किए गए सब्सक्राइबरों की सूची उपलब्ध कराएं जिन्हें चैनलों को बंद करने की अवधि के लिए राशि का प्रतिदाय किया जाना था साथ ही ऐसे सब्सक्राइबरों को, प्रतिदाय की गई राशि का ब्योरा उपलब्ध कराएं;

(च) आज की तिथि में लागू, मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड तथा मैसर्स सोनी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच किए गए अंतर्संयोजन करार की एक प्रति उपलब्ध कराएं।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स इंडीपेंडेंट टेलीविजन लिमिटेड को दिनांक 24 जुलाई, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने निम्नवत मुद्दों का अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स इंडीपेंडेंट टेलीविजन लिमिटेड को निदेश दिया :–

(क) उपभोक्ताओं से भुगतान/सब्सक्रिप्शन राशि की प्राप्ति के सात दिनों के पश्चात् कनेक्शन के कितने अनुरोध लंबित है;

(ख) प्रतिदाय प्रदान नहीं कराने के संबंध में कितनी शिकायतें अभी भी लंबित हैं;

(ग) कितने मामलों में अग्रिम धनराशि के संग्रहण करने के बावजूद सेवाएं मुहैया नहीं कराने के कारण उपभोक्ताओं को प्रतिदाय का भुगतान किया गया है। मामलों की संख्या तथा प्रतिदाय की गई राशि का ब्योरा दीजिए;

(घ) क्या उपभोक्ताओं को पूर्व सूचना दिए बिना आपके प्लेटफार्म से किसी चैनल को हटाया गया है। कृपया विवरण, यदि कोई हो तो, दीजिए;

(ङ) क्या ब्लैक आऊट मुद्दे के पश्चात् सेवाएं बहाल कर दी गई हैं;

(च) क्या ब्लैक आऊट की अवधि के दौरान प्रभावित सब्सक्राइबरों को कोई छूट प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी छूट प्रदान की गई है?

- **सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रदाता पोर्टल पर अपने ब्योरे की जानकारी प्रदान करने के संबंध में दिनांक 16 अगस्त, 2019 का आदेश**

इस आदेश के माध्यम से, प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित है कि सेवा प्रदाताओं के पोर्टल पर नाम, पता, संपर्क नम्बर, ई–मेल पता, वेबसाइट का पता, प्रचालन के क्षेत्र को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। अनुपालन अधिकारी का नाम/ब्योरा, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति संबंधी ब्योरा तथा पंजीकरण संबंधी ब्योरा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स सिटी नेटवर्क लिमिटेड को दिनांक 28 अगस्त, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स सिटी नेटवर्क लिमिटेड को निदेश दिया :–

(क) यह पाया गया कि मैसर्स सिटी नेटवर्क लिमिटेड अभी भी निम्नवत बिंदुओं पर नए विनियामक ढ़ांचे का अनुपालन नहीं कर रहा है:–

(ख) एलसीओ उपभोक्ताओं को मदवार बीजक उपलब्ध करवा सकते हैं परंतु अधिकांश एलसीओ इसे उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। कुछ एलसीओ अपने स्वयं के नकद पर्ची के बिल उपलब्ध करवा रहे हैं;

(ग) मैसर्स सिटी नेटवर्क लिमिटेड की आईवीआरएस सुविधा में शिकायत दर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इंडसइंड मीडिया कम्यूनीकेशन्स लिमिटेड को दिनांक 28 अगस्त, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स इंडसइंड मीडिया कम्यूनीकेशन्स लिमिटेड को निदेश दिया :–

(क) एलसीओ उपभोक्ताओं को मदवार बीजक उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। कुछ एलसीओ अपने स्वयं के नकद पर्ची के बिल उपलब्ध करवा रहे हैं;

(ख) आईएमसीएल द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे उपभोक्ता पोर्टल कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) आईएमसीएल की आईवीआरएस सुविधा में शिकायत दर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) बिना जीएसटी पंजीकरण वाले एलसीओ, सब्सक्राइबरों से कर राशि का संग्रहण कर रहे हैं परंतु इसे जमा नहीं कर रहे हैं।

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हैथवे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 28 अगस्त, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स हैथवे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को निदेश दिया :–

(क) बिल तैयार करने की सुविधा, एलसीओ के पोर्टल पर उपलब्ध है, परंतु उपभोक्ता, सब्सक्राइबर के अनुरोध के बावजूद भी अधिकांश मामलों में मदवार बिल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) बिना जीएसटी पंजीकरण वाले एलसीओ, सब्सक्राइबरों से कर राशि का संग्रहण कर रहे हैं परंतु इसे जमा नहीं कर रहे हैं;

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेन नेटवर्क लिमिटेड को दिनांक 28 अगस्त, 2019 का निदेश**

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स डेन नेटवर्क लिमिटेड को निदेश दिया :–

(क) एलसीओ भुगतान प्राप्तियों के लिए कार्ड प्रणाली का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के नकद पर्ची बिलों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जबकि सब्सक्राइबर, मदवार बिल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

(ख) उपभोक्ता पोर्टल पर सब्सक्रिप्शन के उन्नयन करने तथा उसमें संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) बिना जीएसटी पंजीकरण वाले एलसीओ, सब्सक्राइबरों से कर राशि का संग्रहण कर रहे हैं परंतु इसे जमा नहीं कर रहे हैं;

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड को दिनांक 28 अगस्त, 2019 का निदेश**

  इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने निम्नवत मुद्दों पर अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड को निदेश दिया :–

  (क) मैसर्स जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड की आईवीआरएस सुविधा में शिकायत दर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

  (ख) मैसर्स जीटीपीएल केसीबीपीएल के उपभोक्ता पोर्टल पर अत्यंत सीमित सुविधाएं हैं। उपभोक्ता पोर्टल पर सब्सक्रिप्शन का उन्नयन करने तथा उसमें संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

  (ग) बिना जीएसटी पंजीकरण वाले एलसीओ, सब्सक्राइबरों से कर राशि का संग्रहण कर रहे हैं परंतु इसे जमा नहीं कर रहे हैं;

- **प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों (डीटीएच आपरेटरों तथा एमएसओ) को जारी किए गए दिनांक 29 अक्तूबर, 2019 का निदेश**

  भादूविप्रा ने दिनांक 29 अक्तूबर, 2019 को टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों (डीटीएच आपरेटरों तथा एमएसओ) को प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निदेश जारी किया।

  इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों को निम्नवत निदेश दिया :–

  (क) उक्त प्रसारकों द्वारा पेशकश की जा रही विज्ञापन संबंधी योजनाओं को तुरंत लागू करने तथा चैनलों के वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी) में आशोधन करना;

  (ख) विज्ञापन संबंधी योजनाओं के तहत पेशकश किए गए चैनलों के आशोधित डीआरपी को अपनी वेबसाइट, उपभोक्ता सेवा चैनल तथा इलेक्ट्रानिक प्रोग्राम गाईड में प्रदर्शित करना;

  (ग) ऐसे सब्सक्राइबर, जिन्होंने विज्ञापन संबंधी योजनाओं के तहत पेशकश किए गए चैनलों को अलाकार्ट आधार पर सब्सक्राइब किया है, से ऐसे विज्ञापन संबंधी योजनाओं को पेशकश किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 से आशोधित डीआरपी को प्रभारित करना;

  (घ) विज्ञापन संबंधी योजनाओं को लागू नहीं किए जाने के कारण सब्सक्राइबरों से प्रभारित की गई अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन राशि, यदि कोई हो तो, का प्रतिदाय/समायोजन करें;

  (ङ) दिनांक 01 नवम्बर, 2019 तक प्राधिकरण को निदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट भेजें।

V. परामर्श

दूरसंचार क्षेत्र

- **''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण हेतु निबंधन और शर्तों की समीक्षा'' पर दिनांक 29 मार्च, 2019 का परामर्श पत्र**

  दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के पत्र के माध्यम से ''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण हेतु निबंधन और शर्तों की समीक्षा'' पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से सिफारिशें मांगी थी। इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 29 मार्च, 2019 को ''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण हेतु निबंधन और शर्तों की समीक्षा'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था हितधारकों से टिप्पणियां एवं प्रति टिप्पणियां भी मांगी गई थी।

  इस परामर्श पत्र द्वारा दूरसंचार विभाग ने दिनांक 05 अगस्त, 2008 ओएसपी के पंजीकरण हेतु निबंधन और शर्तों की समीक्षा करने के लिए जारी किया था।

- **''अंतर्संयोजन हेतु विनियामक ढ़ांचे की समीक्षा'' पर दिनांक 30 मई, 2019 का परामर्श पत्र**

  भादूविप्रा ने अंतर्संयोजन करार, बैंक गारंटी, पीओआई पर पोर्ट उपलब्ध कराने और उनकी संख्या में वृद्धि करने, अंतर्संयोजन प्रभारों, पीओआई के वियोजन तथा अंतर्संयोजन से जुड़े मामलों पर वित्तीय निरुत्साहन विषय पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 को ''दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018'' जारी किया। तथापि, अंतर्संयोजन के स्तर के मुद्दे की समीक्षा पर प्राधिकरण ने पाया कि आगे विचार किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, हितधारकों से टिप्पणियां तथा प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 30 मई, 2019 को ''अंतर्संयोजन हेतु विनियामक ढ़ांचे की समीक्षा'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

  परामर्श पत्र में अंतर्संयोजन के 'फिक्सड् टू फिक्सड् प्वाईंट ऑफ इंटरकनेक्शन' के मुद्दे का समाधान किए जाने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण, हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात् विषय पर निर्णय लेगा।

- **''जन सुरक्षा तथा संरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आबंटन'', विषय पर दिनांक 24 जून, 2019 का परामर्श पत्र**

  दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 2019 के पत्र के माध्यम से जानकारी प्रदान की कि भारतीय रेल ने रेल से भूमि तथा रेल से रेल संचार हेतु अपने नेटवर्क के साथ–साथ एक अल्ट्रा हाई स्पीड एलटीई आधारित संचार कारीडोर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में भारतीय रेल ने दूरसंचार विभाग से इस प्रयोजनार्थ 700 मेगाहर्टज बैंड में 15 मेगाहर्टज को आरक्षित करने और इसके लिए आरंभ में 10 मेगाहर्टज निःशुल्क आबंटित करन का अनुरोध किया है चूंकि इस प्रस्ताव में कोई वाणिज्यिक लाभ शामिल नहीं है, परंतु इसका उद्देश्य केवल संरक्षा तथा यात्री सुविधाओं मे वृद्धि करना है। उक्त पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से भारतीय रेल को स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आबंटन, उसकी प्रमात्रा, मूल्य, उपयुक्त फ्रीक्वेंसी बैंडिंग (450 से 470 मेगाहर्टज बैंड सहित) तथा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत अन्य संबंधित मुद्दों पर सिफारशें देने का अनुरोध किया था।

  तदनुसार, ''जन सुरक्षा तथा संरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आबंटन'' में शामिल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए परामर्श पत्र को दिनांक 24 जून, 2019 को जारी किया गया था। परामर्श पत्र भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

- **''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी– I (आईपी– I) पंजीकरण के क्षेत्राधिकार की समीक्षा'' के मुद्दे पर दिनांक 16 अगस्त, 2019 का परामर्श पत्र**

  भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 को ''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी– I (आईपी– I) पंजीकरण के क्षेत्राधिकार की समीक्षा'' विषय पर परामर्श पत्र जारी किया था। प्राधिकरण द्वारा यह परामर्श प्रक्रिया स्वतः प्रेरणा से आरंभ की गई है ताकि जैसा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति– 2018 में परिकल्पना की गई है, सरकार को अप्रत्यक्ष के साथ–साथ सक्रिय अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए सिफारिशें दी जा

सके। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–। (आईपी–।) के पंजीकरण के क्षेत्राधिकार की समीक्षा के मुद्दे पर हितधारकों के दृष्टिकोण को जानना है ताकि साझा किए जाने योग्य, अप्रत्यक्ष के साथ–साथ सक्रिय अवसंरचना की तैनाती को बढ़ावा दिया जा सके तथा प्रोत्साहित किया जा सके।

वर्तमान में आईपी–।, दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंसधारियों को आपस मे सहमत हुई निय और शर्तों पर 'डार्क फाइबर', 'डक्ट स्पेस तथा पट्टे/किराये/विक्रय के आधार पर टावर जैसी परिसम्पत्तियों को उपलब्ध कराता है। आईपी–। ने देश में सस्ती दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। चूंकि, आईपी–।, का देश में दूरसंचार अवसंरचना को आरंभ करने में पहले ही विशेषज्ञता तथा अनुभव है, यदि उनके पंजीकरण की संभावनाओं का विस्तार किया जाता है तो वे नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–। (आईपी–।) पंजीकरण के क्षेत्राधिकार की समीक्षा'' पर परामर्श पत्र को हितधाारकों से टिप्पणियां तथा प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 16 अगस्त, 2019 को को जारी किया गया था।

- **हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए ''कॉल किए गए पक्ष हेतु अलर्ट की अवधि'' संबंधी दिनांक 16 सितम्बर, 2019 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा ने दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए ''कॉल किए गए पक्ष हेतु अलर्ट की अवधि'' संबंधी एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया है:

(क) 'रिंग' की अवधि के मान का पता लगाना जिसे उक्त अवधि के बाद कोई उत्तर नहीं मिलने पर कॉल को अनिवार्यतः जारी करने हेतु सभी टीएसपी द्वारा 'कान्फिगर' किया जाना चाहिए और उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

(ख) उपभोक्ता अनुभव और नेटवर्क संसाधनों के संबंध में 'रिंग' टोन की अवधि का प्रभाव।

(ग) उपभोक्ता द्वारा घंटी बजने की अवधि का आवश्यकता अनुसार तैयार करना।

(घ) हितधारकों द्वारा लिखित टिप्पणियों की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2019 थी और प्रति टिप्पणी, यदि कोई हो, की अंतिम तिथि 07 अक्तूबर, 2019 थी। खुला मंच चर्चा को दिनांक 17 अक्तूबर, 2019 को किया गया था।

- **''अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार की समीक्षा'' के संबंध में दिनांक 18 सितम्बर, 2019 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा ने दिनांक 18 सितम्बर, 2019 को अंतर्संयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया। दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (13वां संशोधन) विनियम, 2017 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 के माध्यम से वॉयरलेस से वॉयरलेस घरेलू कॉल समाप्ति प्रभार निम्नानुसार निर्धारित किए गए:

(क) दिनांक 01 अक्तूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 0.06 रूपए (मात्र छह पैसे); और

(ख) दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 0 (शून्य)।

इस परामर्श पत्र में वॉयरलेस से वॉयरलेस समाप्ति कॉल के संबंध में शून्य समाप्ति प्रभार अर्थात बीएके प्रणाली के लागू होने की तिथि की समीक्षा की शुरूआत की गई।

- **दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के ''दूरसंचार लाइसेंस के अंतरण/विलय हेतु दिशानिर्देशों में सुधार'' से संबंधित परामर्श पत्र**

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 08 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ जानकारी प्रदान की कि कार्यनीति के रूप में एवं राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 में विलय और अधिग्रहण हेतु दिशानिर्देश, 2014 में सुधार करने के लिए इनके सरल और सुकर अनुपालन का दायित्व है ताकि इस कार्यनीति को पूरा करने हेतु एक कार्य योजना के रूप में अनुमोदन का सरलीकरण हो और इसमें तेजी आए। इस पत्र के माध्यम से

दूरसंचार विभाग ने 'विलय और अधिग्रहण संबंधी दिशा–निर्देश, 2014 में सुधार' के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिश मांगी हैं।

तदनुसार, अनुमोदन को सरल बनाने और इसमें तेजी लाने में समर्थ बनाने हेतु लाइसेंस अंतरण/विलय संबंधी विद्यमान दिशानिर्देशों में किए जाने वाले अपेक्षित सुधारों के संबधं में पृष्ठभूमि सूचना प्रदान करते हुए और हितधारकों से जानकारी आमंत्रित करते हुए दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को 'दूरसंचार लाइसेंस के अंतरण/विलय संबंधी इन दिशानिर्देशों में सुधार' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया गया। यह परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर भी उपलब्ध है।

- **''फिक्सड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एक एकीकृत नम्बर योजना विकसित करना'' पर दिनांक 20 सितम्बर, 2019 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा को दिनांक 08 मई, 2019 को दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 की कार्यनीतियों के संबंध में सिफारिशों की मांग की गई जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं हेतु एकीकृत नम्बर योजना को विकसित करते हुए पर्याप्त संख्या में संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना'' शामिल है।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य उन बदलावों का विश्लेषण करना है जो राष्ट्रीय संख्या योजना को प्रभावित करता है और उन तरीकों का पता लगाना जिनमें पर्याप्त संख्या संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए संख्या संसाधन प्रबंधन और आबंटन नीति निर्धारित की जा सकती है। इनमें शामिल मुद्दें हैं– दीर्घकालिक संख्या योजना की धारणीयता, एकीकृत संख्या योजना, संख्या का प्रभावी उपयोग और प्रभावशाली आबंटन मानदंड।

''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत संख्या योजना को विकसित करने'' के संबंध में इस परामर्श पत्र को दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को जारी किया गया था जिसमें हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां मांगी गई थी।

- **''क्लॉऊड सेवाओं'' के संबंध में दिनांक 23 अक्तूबर, 2019 का परामर्श पत्र**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 23 अक्तूबर, 2019 को सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए ''क्लॉऊड सेवाओं'' के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया।

यह परामर्श पत्र निम्नवत मुद्दों पर विचार करता है :

(क) क्लॉउड सेवा प्रदाताओं के लिए उद्योग निकाय(यों) के पंजीकरण हेतु एक ढ़ांचा विहित करने के लिए संगत मामलों का विश्लेषण करना तथा उन पर चर्चा करना।

(ख) सीएसपी उद्योग निकाय, सीएसपी उद्योग निकाय के दायित्वों का पंजीकरण करने के लिए अर्हता मानदंड।

(ग) अभिशासन ढ़ांचे से संबंधित सदस्यता नीति तथा अन्य नीतिगत मुद्दे।

(घ) हितधारकों द्वारा लिखित टिप्पणियां देने के लिए अंतिम तिथि 04 दिसम्बर, 2019 थी तथा प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हों तो, देने के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 थी।

- **''अंतर्संयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा'' विषय पर दिनांक 08 नवम्बर, 2019 का परामर्श पत्र**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 08 नवम्बर, 2019 को ''अंतर्संयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा'' के संबंध में परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया।

दिनांक 12 जनवरी, 2018 के दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018 के माध्यम से किसी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के आपरेटर (आईएलडीओ) द्वारा ऐसे पहुंच प्रदाताओं, जिसके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती हो, को भुगतान किए जाने वाले समाप्ति प्रभारों को दिनांक 01 फरवरी, 2018 से 0.53 रुपये प्रति मिनट से कम करके 0.30 रुपये प्रति मिनट कर दिया गया था।

इस परामर्श पत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति प्रभारों (आईटीसी) के लिए मौजूदा विनियामकारी प्रणाली की समीक्षा की शरूआत की गई।

- **''विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्तरों का लाभ उठाने में समर्थ बनाना'' विषय पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 का पूर्व परामर्श पत्र**

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 08 मई, 2019 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 का अपने ''प्रोपेल इंडिया'' मिशन के अंतर्गत निवेश और नवाचारों में सहयोग देने और कारोबार में सहजता प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने और विनियामक व्यवस्था में सुधार के रूप में एक कार्यनीति का उल्लेख है। विभिन्न स्तरों (अर्थात् अवसंरचना, नेटवर्क, सेवाएं और अनुप्रयोग परत) को विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से लाभ उठाने में समर्थ बनाना इस कार्यनीति को पूरा करने की एक कार्य योजना है। दिनांक 08 मई, 2019 के उक्त पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ–साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11 की उप धारा (1) के खंड (क) की शर्तों के अधीन विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्तरों को खोलने में समर्थ बनाने के संबंध में सिफारिशें सौंपे।

इस संबंध में ''विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्तरों का लाभ उठाने में समर्थ बनाने'' के संबंध में एक पूर्व परामर्श पत्र को दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया जिसमें हितधारकों से जानकारी मांगी गई है। पूर्व परामर्श पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

- **वाणिज्यिक रूप से वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं को आरंभ करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण के संबंध में प्रारूप सिफारिशों'' संबंधी दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 का परामर्श**

लाइसेंसधारक पहुंच सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतर्निहित दायित्वों और अन्य लाइसेंस शर्तों द्वारा आबद्ध हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी प्रयोज्य प्रणालियों का वाणिज्यिक सेवाओं को आरंभ करने से पूर्व परीक्षण किया जाए क्योंकि लाइसेंसधारकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी सेवा गुणवत्तापूर्ण सेवा मानकों व अन्य शर्तों को पूरा करती हैं जो लाइसेंस प्रदाता अथवा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा निर्धारित की गई हैं।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16 जुलाई, 2019 के अपने पत्र संख्या 20–577/2016–एएस–। के माध्यम से उल्लेख किया कि सरकार ने ''सेवाओं की वाणिज्यिक शुरूआत के पूर्व नेटवर्क परीक्षण'' के संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशों को स्वीकार किया है और यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया जाए कि वह ऐसी ही सिफारिशें वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं के लिए भी करे। दूरसंचार विभाग ने यह अनुरोध किया है कि भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 11 (1)(क) के अनुसार वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं की वाणिज्यिक शुरूआत के पूर्व नेटवर्क परीक्षण संबंधी सिफारिशें करें।

तदनुसार, ''वॉयरलाइन पहुंच सेवा हेतु सेवाओं की वाणिज्यिक शुरूआत के पूर्व नेटवर्क परीक्षण'' के संबंध में प्रारूप सिफारिशों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया है जिसमें हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणी, यदि कोई हों तो, मांगी गई थी।

प्रसारण क्षेत्र

- **''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली लेखा नियम पुस्तक'' के संबंध में दिनांक 29 मार्च, 2019 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा ने दिनांक 29 मार्च, 2019 को ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली लेखा नियम पुस्तक'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया। प्राधिकरण ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को ''डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली हेतु लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया। कार्यप्रणाली के अनुसार और एक पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उपर्युक्त परामर्श पत्र से संबंधित खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को दिल्ली में आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में हितधारकों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। कुछ हितधारकों से प्राप्त सुझावों में से एक डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखा

जांच करने के लिए लेखा परीक्षकों के लिए एक व्यापक लेखा परीक्षा नियम पुस्तक को तैयार करना था। इस सुझाव की अन्य सभी हितधारकों और भादूविप्रा द्वारा सराहना की गई। यह उल्लेख किया गया कि एक व्यापक लेखा परीक्षा नियम पुस्तक को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य इस प्रसारण क्षेत्र में प्रयुक्त सभी डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए तकनीकी और सब्सक्रिप्शन लेखा प्रक्रिया में एक साझी रूपरेखा और एकरूपता सृजित करना है।

इसके अलावा, यह भी सुझाव दिया गया कि अन्य पहलुओं के अतिरिक्त, उक्त लेखा परीक्षा नियम पुस्तक में एक सुपरिभाषित लेखा जांच प्रक्रिया, डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली में प्रयुक्त सभी उपकरण/सॉफ्टवेयर/संबद्ध उपकरण आदि की जांच सूची और लेखा परीक्षकों हेतु आचार संहिता हो सकती है। इस लेखा परीक्षा नियम पुस्तिका से एकरूपता आएगी और यह लेखा जांच करने के लिए एक पारदर्शी पद्धति विकसित करने के लिए एक सर्वस्वीकार्य माध्यम भी बनेगी जो सभी हितधारकों में विश्वास पैदा करेगा। इसके परिणामस्वरूप टेलीविजन चैनलों का प्रावधान करने अथवा अंतर्संयोजन समझौते आदि के नवीकरण के समय हितधारकों के बीच पैदा होने वाले विवादों को शांत किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा नियम पुस्तिका दिनांक 03 मार्च, 2017 के अंतर्संयोजन विनियमों के विनियम 10 और 15 के संदर्भ में लेखा संबंधी मुद्दे का समाधान करती है। यदि किसी डीपीओ और प्रसारक के बीच अंतर्संयोजन समझौते में अतिरिक्त निर्धारण हो जिसमें उनके नियम पुस्तिका समझौते के आधार पर जांच/सत्यापन (अर्थात् छूट, क्षेत्र आदि की पेशकश के संबंध में निर्धारण) की आवश्यकता होती है, तो प्रसारक अलग से अतिरिक्त मानकों पर लेखा जांच करा सकता है।

तकनीकी/तकनीकी–वाणिज्यिक बदलावों, बाजार विकास और प्रणालियों में बदलाव के कारण इस लेखा जांच नियम पुस्तिका की आवधिक समीक्षा की जा सकती है।

- **''केबल टेलीविजन सेवा में बहु प्रणाली आपरेटरों की प्रवेश स्तरीय निवल अपेक्षाओं'' के संबंध में दिनांक 09 अप्रैल, 2019 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा ने ''केबल टेलीविजन सेवाओं में बहु प्रणाली आपरेटर (एमएसओ) की प्रवेश स्तरीय निवल अपेक्षाओं'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया। बहु प्रणाली आपरेटर (एमएसओ) एक प्राधिकृत सेवा प्रदाता होता है जो अपने सब्सक्राइबरों को केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11(3) में एमएसओ पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदक की वित्तीय सुदृढ़ता के स्पष्ट ब्योरे के बजाय तत्संबंधी उल्लेख होता ही है।

इस संबंध में दिनांक 16 मई, 2018 के पत्र के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से एक संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें देशभर में केबल टेलीविजन डिजिटलीकरण को संचालित करने के लिए बहु प्रणाली आपरेटरों (एमएसओ) के प्रवेश स्तरीय निवल मान के निर्धारण के लिए उपयुक्त स्तरों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी गईं। इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से संदर्भ के ब्योरे को साझा किया गया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य इस बात पर विचार–विमर्श करना है कि क्या एमएसओ के लिए प्रवेश स्तरीय निवल मान को निर्धारित करने की काई आवश्यकता है? यदि हां तो एमएसओ हेतु पंजीकरण के समय अपेक्षित निवल मान क्या होना चाहिए? इसके अतिरिक्त, इस पत्र में न्यूनतम मान का निर्धारण होने पर किसी आवेदक के निवल मान का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों और पद्धति के संबंध में टिप्पणियां मांगी गई हैं। क्या एमएसओ के लिए पात्रता और निवल मान के संबंध में वर्तमान नियमों और प्रावधानों की समीक्षा अथवा इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है?

- **दिनांक 22 अप्रैल, 2019 का प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन करारों की सेवाओं का रजिस्टर, 2019**

इस अंतर्संयोजन करारों के रजिस्टर के प्रारूप विनियम के माध्यम से भादूविप्रा ने विस्तृत कारण और औचित्य के साथ हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस प्रारूप विनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक प्रसारक तथा टेलीविजन चैनलों (जहां इसके समग्र संवितरण नेटवर्क का सक्रिय सब्सक्राइबर आधार दो लाख अथवा इससे अधिक हो) द्वारा अंतर्संयोजन करार दायर किए जाएं।

- **''डीटीएच सेट टॉप बॉक्स की केवाईसी'' विषय पर दिनांक 19 जुलाई, 2019 का परामर्श पत्र**

  भादूविप्रा ने दिनांक 19 जुलाई, 2019 को ''डीटीएच सेट टॉप बॉक्स की केवाईसी'' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया। डीटीएच प्रसारण सेवाओं को देश में वर्ष 2001 में खोला गया था। दिनांक 15 मार्च, 2001 को सरकार ने देश में डायरेक्ट टू होम (डीटूएच) प्रसारण सेवा उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ, देश में डीटीएच सेवाओं को स्थापित करने तथा उन्हें चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा आपरेटरों पर लगाई गई मूलभूत निबंधन और शर्तें/दायित्व विहित थे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 का एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जहां, भादूविप्रा से 'डीटीएच सेवाओं में सेट टाप बॉक्सों के लिए अपने उपभोक्ताओं को जानिए (केवाईसी) से वांछनीयता अथवा अन्यथा के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें देने और यदि वांछनीय हो तो इसके लिए प्रक्रिया सुझाने का अनुरोध किया गया था।

- **दिनांक 09 अगस्त, 2019 का सेवा की गुणवत्ता संबंधी दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 संबंधी प्रारूप (दूसरा संशोधन)**

  भादूविप्रा ने दिनांक 09 अगस्त, 2019 को सेवा की गुणवत्ता संबंधी दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 के प्रारूप (दूसरा संशोधन) को जारी किया। इस प्रारूप विनियम (दूसरा संशोधन) के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने तृतीय पक्ष द्वारा एप विकसित करने तथा डीपीओ और उपभोक्ताओं के बीच एपीआई का उपयोग कर सूचना के परिणामी जानकारी साझा करने के मुद्दे पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं ताकि उनकी पंसद के चैनलों के चयन में सहजता हो और उनकी अपनी रूचि के चैनलों को देखने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान करते हुए उनकी सब्सक्रिप्शन को इष्टतम बनाते हुए टेलीविजन देखने संबंधी प्रशुल्कों में कमी लाई जा सके।

- **''प्रसारण और केबल सेवा हेतु प्रशुल्क संबंधी मुद्दे'' विषय पर दिनांक 16 अगस्त, 2019 का परामर्श पत्र**

  भादूविप्रा ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 को हितधारकों से टिप्पणियां मांगते हुए ''प्रसारण और केबल सेवा हेतु प्रशुल्क संबंधी मुद्दों'' के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया। इस पत्र में मुख्यतः बुके तैयार करने में दी गई छूट, बुके में शामिल करने हेतु चैनलों का अधिकतम मूल्य, प्रसारणकर्ताओं और डीपीओ द्वारा बुके तैयार करने की आवश्यकता, दीर्घकालिक योजना में परिवर्तनीय एनसीएफ और छूट संबंधी मामलों पर चर्चा की जाती है। यह मुद्दे उपभोक्ता कल्याण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं और यह माना जाता है कि यह हितधारकों के विचारों को जानने के लिए उपयुक्त हैं।

- **दिनांक 27 अगस्त, 2019 का प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2019**

  भादूविप्रा ने दिनांक 27 अगस्त, 2019 को ''प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2019'' को जारी किया। इस प्रारूप विनियम के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हितधारकों से निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणियां मांगी हैः–

(क) डिजिटल अधिकार प्रबंधन प्रणालियां।

(ख) सीएएस और एसएमएस प्रणाली की संव्यवहार क्षमता।

(ग) फिंगरप्रिंटिंग–एसटीबी में ओवर्ट और कोवर्ट फिंगरप्रिंटिंग हेतु सहायता।

(घ) सभी पे–चैनलों हेतु 'वाटरमार्किंग नेटवर्क लोगो'।

- **''डीटीएच आपरेटरों द्वारा प्रदान की जा रही प्लेटफार्म सेवा'' के संबंध में दिनांक 28 अगस्त, 2019 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा ने ''डीटीएच आपरेटरों द्वारा दी गई प्लेटफार्म सेवाओं'' के संबंध में दिनांक 28 अगस्त, 2019 को एक परामर्श पत्र जारी किया। भारत में पे–टेलीविजन सब्सक्राइबरों का एक बड़ा आधार है। प्रमुख रूप से पे–टेलीविजन सेवाएं केबल टेलीविजन और डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। केबल टेलीविजन और डीटीएच प्रणाली की तुलना में इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन (आईपीटीवी), हेड–इंड इन द स्काई (एचआईटीएस) जैसे टेलीविजन के अन्य प्रसारण प्रणालियों का सब्सक्राइबर आधार बहुत कम है। सभी टेलीविजन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म आपरेटर (डीपीओ) अर्थात् एमएसओ, डीटीएच और एचआईटीएस आपरेटर कतिपय कार्यक्रम सेवाओं का प्रचालन करते हैं जो प्रत्येक प्लेटफार्म के लिए विशिष्ट होते हैं और जिन्हें प्रसारकों से नहीं प्राप्त किया जाता है। ये सभी प्लेटफार्म विशिष्ट सेवाएं डीपीओ द्वारा पेशकश की जा रही हैं किंतु प्रसारकों से प्राप्त नहीं की जाती हैं जिन्हें प्लेटफार्म सेवाओं (पीएस) के रूप में संदर्भित किया गया है। डीपीओ नवाचार सेवाओं और उत्पादन अंतर प्रदान करने के लिए पीएस का उपयोग करते हैं। यह डीपीओ के लिए अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव (यूएसपी) के रूप में भी कार्य करता है और यह अपने सब्सक्राइबरों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी सहायता भी करता है।

भादूविप्रा को दिनांक 02 जुलाई, 2019 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से एक संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि वह मुख्यरूप से डीटीएच दिशानिर्देशों के विशेष संदर्भ में प्लेटफार्म सेवाओं से संबंधित अपनी सुविचारित सिफारिशें प्रदान करें:

(क) प्लेटफार्म सेवा चैनल प्रदान करने वाले डीटीएच आपरेटर को यह सुनिश्चित करना होता है कि वही विषयवस्तु किसी अन्य डीपीओ द्वारा साझा नहीं की जाए। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में संस्तुत 1000 रूपए प्रति पीएस चैनल की तुलना में एकमुश्त पंजीकरण शुल्क को बढ़ाकर एक लाख रूपए किया जाए।

(ख) पीएस चैनलों की अधिकतम संख्या जिसे एक डीटीएच आपरेटर प्रदान कर सकता है।

(ग) प्लेटफार्म सेवा को नियमित चैनलों से अलग से क्रमबद्ध किया जा सकता है।

- **''अंतर्संयोजन विनियम, 2017 से संबंधित मामलों'' पर दिनांक 25 सितम्बर, 2019 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए ''अंतर्संयोजन विनियम, 2017 से संबंधित मामलों'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य विद्यमान अंतर्संयोजन विनियम, 2017 के प्रावधानों की समीक्षा करना और प्रसारकों एवं डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच स्थापन से संबंधित लक्षित बाजार व मुद्दों से जुड़े विषयों पर सभी हितधारकों से परामर्श करना है।

- **''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' के संबंध में दिनांक 16 अक्तूबर, 2019 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा ने एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्यों के अनुमान से संबंधित मुद्दों के संबंध में हितधारकों से टिप्पणियां/विचार आमंत्रित करते हुए ''एफएम रेडियो चैनलों हेतु आरक्षित मूल्य'' के संबंध में दिनांक 16 अक्तूबर, 2019 को एक परामर्श पत्र जारी किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने एफएम चरण–III नीति के तहत 283 शहरों (260 नए और 23 विद्यमान) के लिए आरक्षित मूल्यों के संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशें

मांगते हुए 22 अगस्त, 2019 को एक संदर्भ भेजा। इस परामर्श पत्र को एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के आकलन से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को जानने के लिए तैयार किया गया था।

- **''सेट टॉप बाक्स की अंतर्संयोजनीयता'' विषय पर दिनांक 11 नवम्बर, 2019 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियां/विचार आमंत्रित करते हुए ''सेट टॉप बाक्स की अंतर्संयोजनीयता'' विषय पर दिनांक 11 नवम्बर, 2019 को एक परामर्श पत्र जारी किया। यह परामर्श पत्र एसटीबी की अंतर्संयोजनीयता प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपलब्ध विकल्पों और तकनीकी समाधानों की संक्षिप्त समीक्षा करता है। इस पत्र में सबसे इष्टतम और लागत प्रभावी समाधान का सुझाव देने के लिए विस्तृत औचित्य के साथ प्रतिक्रिया मांगी गई है।

डिजिटल टेलीविजन प्रसारण सेवाएं एक सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी), जो टेलीविजन सेट के साथ जुड़ा होता है, का प्रयोग करते हुए सब्सक्राइबर को प्राप्त होती हैं। एसटीबी में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से टेलीविजन सिग्नल प्राप्त होता है और इसे टेलीविजन सेट के लिए दृश्य योग्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए डिकोड करता है। एसटीबी, सब्सक्राइबर को केवल उन टेलीविजन चैनलों को दिखाता है जिन्हें उन्होंने सब्सक्राइब किया है। वर्तमान में, नेटवर्क में लगा एसटीबी अंतर्संयोजनीय नहीं होता है अर्थात् एक ही एसटीबी को विभिन्न सेवा प्रदाताओं में अंतर्परिवर्तनीयता के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा प्रदाताओं द्वारा लगाए गए एसटीबी का संबंध है, 'एसटीबी कॉमन इंटरफेस' (सीआई) मॉड्यूल आधारित अंतर्संयोजनीयता की सहायता करने के लिए लाइसेंस शर्तों का पालन करता है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच एसटीबी की अंतर्संयोजनीयता की कमी ने न सिर्फ पे–टेलीविजन बाजार में प्रतिस्पर्धा के साथ समझौता किया है बल्कि यह तकनीकी नवाचार, सेवा गुणवत्ता में सुधार और इस क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रमुख बाधा भी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अप्रैल, 2016 के दौरान सेट टॉप बॉक्स अंतर्संयोजनीयता के संबंध में एक पूर्व परामर्श पत्र जारी किया था। उसके पश्चात्, अगस्त, 2017 के दौरान तकनीकी अंतर्संयोजनीय सेट अप बॉक्स के लिए सी–डॉट द्वारा लगाए गए 'सोल्युशन आर्किटेक्चेर' पर एक परामर्श टिप्पण जारी किया गया। स्मार्ट कार्ड आधारित सोल्युशन को सी–डॉट द्वारा विकसित सीएएस के पृथक मामलों का उपयोग करते हुए प्रयोगशाला की स्थिति में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तथापि, तृतीय पक्ष के साथ सीएएस सोल्युशन का क्षेत्र परीक्षण इस क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ अभी किया जाना शेष है।

भादूविप्रा सेट टॉप बॉक्स अंतर्संयोजनीयता की प्राप्ति के लिए हितधारकों की बैठकों/चर्चाओं सहित विभिन्न उपाय करता रहा है। प्राधिकरण ने सूचना का आदान–प्रदान करने के लिए प्रसारण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ भी कार्य किया है। एसटीबी की अंतर्संयोजनीयता को लागू करने के लिए बेहतर समाधान का सुझाव देने के लिए सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के मद्देनजर इस परामर्श पत्र को जारी किया गया था। यह परामर्श पत्र, एसटीबी की अंतर्संयोजनीयता की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपलब्ध विकल्पों और तकनीकी समाधान की संक्षिप्त समीक्षा प्रदान करता है। इस पत्र में सबसे इष्टतम और लागत प्रभावी समाधान का सुझाव देने के लिए विस्तृत औचित्य के साथ प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है।

VI. अन्य मुद्दे (दूरसंचार क्षेत्र)

दूरसंचार क्षेत्र

देश में 5जी को सक्षमकारी बनाना

- **''देश में 5जी को सक्षमकारी बनाना'' विषय पर दिनांक 22 फरवरी, 2019 को श्वेत पत्र जारी किया गया**

वैश्विक रूप से, 5जी नेटवर्कों को पूर्ण रूप से आरंभ किया जाना वर्ष 2019 के अंत अथवा वर्ष 2020 के प्रारंभ में आरंभ होने की आशा है, जिसके लिए प्रयोग पहले ही आरंभ हो चुके हैं। भारत का 5जी उच्च स्तरीय मंच शेष विश्व के साथ–साथ, देश में वर्ष 2020 तक 5जी के आरंभ होने की परिकल्पना करता है।

देश में समय से 5जी आरंभ करने के लिए एक सक्षमकारी परिवेश तैयार करने के लिए, भादूविप्रा, दिनांक 22 फरवरी, 2019 को ''देश में 5जी को सक्षमकारी बनाने'' के संबंध में एक श्वेत पत्र लेकर आया। यह श्वेत पत्र 5जी प्रौद्योगिकी की विशिष्टताओं को उजागर करता है, संभावित उपयोग के मामले तथा 5जी ढ़ांचे पर चर्चा करता है, 5जी नेटवर्कों की स्पेक्ट्रम संबंधी अपेक्षाओं को कवर करता है और विनियामकारी चुनौतियों की पहचान करता है जिन्हें देश में 5जी सेवा आरंभ करने के लिए समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

इस श्वेत पत्र का उद्देश्य देश में 5जी सेवा आरंभ करने के लिए विनियामक सहित संभावित चुनौतियों की पहचान करना तथा कार्यान्वयन योग्य समाधान का पता लगाने के लिए सभी हितधारकों के साथ चर्चा आरंभ करना है।

''देश में 5जी को सक्षमकारी बनाने'' के संबंध में श्वेत पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

- **''देश में 5जी को सक्षमकारी बनाने'' विषय पर कार्यशाला दिनांक 01 मई, 2019 को आरंभ हुई**

भादूविप्रा ने दिनांक 22 फरवरी, 2019 को ''देश में 5जी को सक्षमकारी बनाने'' के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उद्योग जगत को संभावित 5जी उपयोग के मामलों पर विचार करने के लिए एक मंच प्रदान करने तथा वाणिज्यिक, विनियामकारी तथा अवसंरचनात्मक मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए, जो ऐसे उपयोग के मामलों को सुकर बनाने के लिए अनिवार्य थे, दिनांक 01 मई, 2019 को ''देश में 5जी को सक्षमकारी बनाने'' के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई।

''देश में 5जी को सक्षमकारी बनाने'' के संबंध में दिनांक 01 मई, 2019 को आयोजित कार्यशाला का छाया चित्र

- **''मोबाइल नम्बर प्रतिसंहरण सूची का प्रकाशन'' के संबंध में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए दिनांक 20 नवम्बर, 2019 का आदेश**

भारत में अधिकांश सरकारी और निजी प्रणालियां उपभोक्ताओं की पहचान करने और उनके मोबाइल नम्बर पर भेजे गए एकबारगी पासवार्ड के माध्यम से विभिन्न सेवाओं को प्रमाणिकृत तथा प्राधिकृत करने हेतु मोबाइल नम्बर का उपयोग करती हैं।

एक निश्चित समयावधि के बाद वापस लौटाए गए अथवा स्थायी रूप से बंद किया गया मोबाइल नम्बर किसी अन्य उपभोक्ता को पुनः आबंटित किया जाता है किंतु कई सेवा आपूर्ति प्लेटफार्म/प्रणालियां पूर्व में उपभोक्ताओं द्वारा अद्यतन नहीं किया जाता है, जो या तो सेवा नियमित रूप से उपयोग नहीं कर रहे होते हैं और इसलिए अपने मोबाइल नम्बर को अद्यतन नहीं करते हैं, अथवा मोबाइल नम्बर के पुनः प्रयोग किए जाने के संभावित खतरे के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, इस प्रकार एक मोबाइल नम्बर के पुनः आबंटन के संबंध में किसी पहचान/प्रोफाइल में फेर बदल की भारी संभावना होती है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्लेटफार्म/प्रणाली उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से बैंक और अन्य हितधारक कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार स्थायी रूप से बंद किए गए और अपंजीकृत किए गए मोबाइल फोन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए, हितधारकों को पारदर्शिता और कार्यकुशलता हेतु मोबाइल नम्बर प्रतिसंहरण सूची (एमएनआरएल) उपलब्ध कराने और इच्छुक पक्षों को उनके डाटाबेस से हटाए जाने में समर्थ बनाया जा सके जिससे वे अपने उपभोक्ता के अलावा किसी अन्य को एक बारगी पासवर्ड नहीं भेज सकें।

एमएनआरएल स्थायी रूप से बंद किए गए मोबाइल नम्बरों की डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित सूची है जिसे विभिन्न एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से डाउनलोड करने और अपने वर्कफ्लो का उपयोग करते हुए अपने डाटाबेस को साफ करने (उदाहरणार्थ, बैंक इस सूची को डाउनलोड कर सकता है, प्रत्येक नम्बर की जांच कर सकता है और यदि इसमें से कोई नम्बर उसके किसी उपभोक्ता का है, तो वह इसे चिह्नित कर सकता है और उपभोक्ता को उनके नए नम्बर के साथ अद्यतन किया जा सकता है) की अनुमति देते हुए प्रत्येक माह, प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

भादूविप्रा एक स्वचलित प्रक्रिया विकसित करेगा जिसमें किसी हस्तसाधित हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें एक लिंक दिया जाएगा, जहां दूरसंचार सेवा प्रदाता मासिक आधार पर अद्यतन एमएनआरएल को अपलोड करेंगे तथा बैंक व अन्य हितधारक सहजता से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची व्यक्तिगत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपलोड किए गए/प्रदान किए गए डाटा के अनुसार होगा और प्राधिकरण इस प्रकाशित सूची में पाई गई किसी भी असंगति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

एमएनआरएल का प्रयोग करते हुए संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसियों को उनकी सेवा प्रावधान के संबधं में संबंधित विनियामकों और सरकारी विभागों आदि द्वारा जारी नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों अथवा निर्देशों का अनुसरण करना चाहिए और प्राधिकरण केवल अपनी वेबसाइट पर एमएनआरएल को प्रकाशित करेगा तथा किसी भी रूप में इसका विपणन, प्रचार अथवा किसी उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अपने उपयोग का संवर्धन नहीं करेगा अथवा उसे उचित नहीं ठहराएगा।

इच्छुक एजेंसियां संगठन के नाम, पते, ईमेल आईडी आदि जैसे आवश्यक जानकारी मांगते हुए एक सरल ऑनलाइन 'साइन–अप'/पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अपने आंतरिक उपयोग के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट से प्रकाशित एमएनआरएल को डॉउनलोड कर सकता है;

इसलिए, भादूविप्रा ने सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा करने और मोबाइल नम्बर की प्रतिसंहरित सूची को प्रकाशित करने को सुकर बनाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत एक आदेश दिया कि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता स्थायी रूप से बंद कर दिए गए मोबाइल नम्बर की सूची मासिक आधार पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर नवम्बर, 2019 से निम्नवत व्यापक रूपरेखा का अनुसरण करते हुए डाली जाएगी :–

(i) प्रत्येक सेवा प्रदाता इस सूची में विहित दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए अपने एक अधिकारी को प्राधिकृत करेगा और 'डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र की सार्वजनिक कुंजी' (पब्लिक की) के साथ दिनांक 25 नवम्बर, 2019 तक प्राधिकरण को अपना नाम, पदनाम और आधिकारिक ई–मेल आईडी प्रदान करेगा जिसका इस्तेमाल एमएनआरएल जमा करने के लिए उपयोग किया जाएगा; (ii) इन सूचियों को अपलोड करने के

लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्राधिकरण द्वारा एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा; (iii) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में संप्रेषण पर दूरसंचार सेवा प्रदाता के कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जिसमें कंपनी द्वारा सांविधिक फाईलिंग के लिए प्रयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर हों और इसे एक 'अडोब पीडीएफ डॉक्यूमेंट' के रूप में भेजा जाए जिसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा; (iv) इन सूचियों में देने के लिए प्रयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर किसी प्रमाणित प्राधिकारियों से निर्गत श्रेणी–2 अथवा श्रेणी–3 का प्रमाणपत्र होना चाहिए जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 17 के तहत स्थापित प्रमाणित प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई हो; (v) किसी विशेष माह के लिए स्थायी रूप से बंद किए गए मोबाइल नम्बरों की सूची 'माइक्रोसाफ्ट एक्सेल (.xlsx) फार्मेट में डिजिटल रूप में दस्तावेजों को सौंपा जाएगा और इन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाता के उक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अगले माह की 07 तारीख तक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा (उदाहरणार्थ नवम्बर माह अर्थात 01 नवम्बर, 2019 से लेकर 30 नवम्बर, 2019 के दौरान स्थायी रूप से बंद हुए मोबाइल नम्बरों की सूची को 07 दिसम्बर, 2019 तक प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अपलोड किया जाएगा जिसके आधार पर एमएनआरएल 08 दिसम्बर, 2019 को स्वतः प्रकाशित हो जाएगा और यह एक माह की अवधि अर्थात् 08 दिसम्बर, 2019 से 07 जनवरी, 2020 तक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा तथा 08 जनवरी, 2020 को इस सूची को दिसम्बर, 2019 के महीने के दौरान स्थायी रूप से बंद हुए नम्बरों की सूची से प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके पश्चात् बाद की सूची से प्रतिस्थापित किया जाएगा।); (vi) प्रत्येक माह के एमएनआरएल को भावी लेखापरीक्षा अथवा सत्यापन प्रयोजन के लिए उत्तरवर्ती माह के इस डाटाबेस में अभिलेखबद्ध किया जाएगा और इसे 12 माह की अवधि के लिए इस डाटाबेस में रखा जाएगा।

उक्त आदेश की प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

खुला मंच चर्चा (ओएचडी)

- **''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए निबंधन और शर्तों की समीक्षा'' विषय पर दिनांक 15 जुलाई, 2019 को परामर्श पत्र पर आयोजित खुला मंच चर्चा**

  भादूविप्रा ने दिनांक 15 जुलाई, 2019 को ''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए नियम और शर्तों की समीक्षा'' विषय पर स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा आयोजित की। खुला मंच चर्चा में विभिन्न हितधारकों जैसे टीएसपी, ओएसपी, दूरसंचार संघ, सीएजी तथा व्यक्ति विशेष आदि ने भाग लिया।

- **''अंतर्संयोजन हेतु विनियामक ढ़ांचे की समीक्षा'' विषय पर दिनांक 19 अगस्त, 2019 को आयोजित खुला मंच चर्चा**

  भादूविप्रा ने दिनांक 19 अगस्त, 2019 को ''अंतर्संयोजन हेतु विनियामक ढ़ांचे की समीक्षा'' विषय पर स्कोप भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा आयोजित की। खुला मंच चर्चा में विभिन्न हितधारकों जैसे टीएसपी, दूरसंचार संघ, सीएजी तथा व्यक्ति विशेष आदि ने भाग लिया।

- **''जन सुरक्षा तथा संरक्षा सेवाओं हेतु भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आबंटन'', विषय पर दिनांक 26 अगस्त, 2019 को परामर्श पत्र पर नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा आयोजित हुई**

  ''जन सुरक्षा तथा संरक्षा सेवाओं हेतु भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आबंटन'', विषय पर दिनांक 26 अगस्त, 2019 को परामर्श पत्र पर नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा आयोजित हुई।

- **दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को ''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–I के पंजीकरण के क्षेत्राधिकार की समीक्षा'' के संबंध में परामर्श पत्र पर नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा आयोजित हुई**

  दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को ''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–I के पंजीकरण के क्षेत्राधिकार की समीक्षा'' के संबंध में परामर्श पत्र पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली में आगे हितधारकों के दृष्टिकोण को जानने के लिए एक खुला मंच चर्चा आयोजित हुई।

- **दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को ''अंतर्संयोजन आयोग प्रभारों की समीक्षा'' के संबंध में परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित हुई**

  भादूविप्रा ने दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को ''अंतर्संयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा'' के संबंध में दिनांक 18 सितम्बर, 2019 के परामर्श पत्र पर स्कोप मीनार कन्वेंशन सेंटर, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की। यह परामर्श पत्र घरेलू वॉयरलेस टू वॉयरलेस समापन प्रभारों के लिए 'बिल एंड कीप' (बीएके) प्रणाली की लागू तिथि की समीक्षा के लिए था। इस खुला मंच चर्चा में विभिन्न निकायों जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, सेवा प्रदाता संघ, कंपनियों, संगठनों, फर्मों, सोसायटियों, परामर्शदाताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों तथा व्यक्ति विशेष ने भाग लिया।

- **दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को ''दूरसंचार लाइसेंसों के अंतरण/विलय के संबंध में दिशानिर्देशों में सुधार'' विषय पर परामर्श पत्र में एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई**

  ''दूरसंचार लाइसेंसों के अंतरण/विलय के संबंध में दिशानिर्देशों में सुधार'' परामर्श पत्र पर दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई थी।

- **''भारत में टेलीविजन के दर्शकों के मापन तथा रेटिंग की समीक्षा'' विषय पर परामर्श पत्र में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''भारत में टेलीविजन के दर्शकों के मापन तथा रेटिंग की समीक्षा'' विषय पर दिनांक 31 मई, 2019 को दिल्ली तथा दिनांक 03 जुलाई, 2019 को मुंबई में परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **''प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन करार के सेवाओं का रजिस्टर विनियम, 2019'' पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन करार के सेवाओं का रजिस्टर विनियम, 2019'' पर दिनांक 10 जून, 2019 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **''केबल टेलीविजन सेवाओं में मल्टी सिस्टम आपरेटरों की प्रवेश स्तर की निवल मान संबंधी अपेक्षा'' विषय पर परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''केबल टेलीविजन सेवाओं में मल्टी सिस्टम आपरेटरों की प्रवेश स्तर की निवल मान संबंधी अपेक्षा'' विषय पर दिनांक 11 जून, 2019 को एक नई दिल्ली में परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **''दूरसंचार प्रसारण और केबल सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियां लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका'' विषय पर परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''दूरसंचार प्रसारण और केबल सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियां लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका'' विषय पर दिनांक 20 जून, 2019 को नई दिल्ली में परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **''अंतर्संयोजन विनियम, 2017 से संबधित मुद्दे'' विषय पर दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को दिल्ली में परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''अंतर्संयोजन विनियम, 2017 से संबधित मुद्दे'' विषय पर दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को दिल्ली में परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए प्रशुल्क संबंधित मुद्दों' विषय के परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए प्रशुल्क संबंधित मुद्दों' पर दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **''डीटीएच आपरेटरों द्वारा पेशकश की गई प्लेटफार्म सेवाएं'' विषय के परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''डीटीएच आपरेटरों द्वारा पेशकश की गई प्लेटफार्म सेवाएं'' विषय पर दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **''डीटीएच सेट टॉप बॉक्स के केवाईसी'' विषय के परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''डीटीएच सेट टॉप बॉक्स का केवाईसी'' विषय पर दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली स्थित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मुख्यालय में परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **''प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंर्तसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019'' विषय पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंर्तसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2019'' पर दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

- **''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं की गुणवत्ता के सेवाओं के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2019 पर प्रारूप विनियम (द्वितीय संशोधन)'' विषय पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई**

  ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं की गुणवत्ता के सेवाओं के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2019 पर प्रारूप विनियम (द्वितीय संशोधन)'' विषय पर दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

VII. अन्य मुद्दे (प्रसारण क्षेत्र)

- **प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 08 जनवरी, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति**

  यह प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है कि कुछ अफवाहों/संदेशों का प्रसार किया जा रहा है कि नए विनियामक ढ़ांचे के कार्यान्वयन को स्थगित अथवा रोक दिया गया है अथवा इसमें आशोधन किया जा रहा है। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि नया विनियामकारी ढ़ांचा दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को प्रभावी हुआ उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने तथा विकल्प प्राप्त करने के संबंध में क्रियाकलापों की अनुसूची विधिवत्रूप से सभी सेवा प्रदाताओं को सम्प्रेषित कर दी गई है। सभी सेवा प्रदाताओं को पुनः परामर्श दिया जाता है कि वे दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के 'मॉइग्रेशन प्लॉन' में यथा उपबंधित समय–सीमा का कड़ाई से अनुपालन करें।

- **''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामकारी ढ़ांचे में उपभोक्ताओं की पसंद'' के संबंध में दिनांक 10 जनवरी, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति**

  प्राधिकरण ने यह पाया कि अनेक प्रसारक, अपने चैनलों की केवल बुके के रूप में पेशकश कर रहे हैं। तथापि, उपभोक्ता यह नोट करें कि उनके पास अलाकार्ट आधार पर भी चैनलों को चुनने का विकल्प मौजूद है। अलाकार्ट आधार पर किसी चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को इलेक्ट्रानिक प्रोग्राम गाईड (ईपीजी) अथवा उनकी टेलीविजन स्क्रीन के मेन्यू पर देखा जा सकता है। ड्रिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म आपरेटर (डीपीओ) जैसे कि केबल आपरेटर, डीटीएच आपरेटर ईपीजी पर प्रदर्शित अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट दे सकते हैं। प्रत्येक डीपीओ को उपभोक्ता सूचना चैनल चलाने का अनुरोध किया गया है जोकि प्राथमिक रूप से चैनल संख्या 999 पर होना चाहिए जहां उपभोक्ता आधारित जानकारी जिसमें अलाकार्ट आधार पर किसी चैनल के मूल्य तथा बुके को उपलब्ध कराया जाता है। उपभोक्ताओं को अधिकतम 130/– रुपये की नेटवर्क क्षमता शुल्क के भीतर उनकी पसंद के 100 स्टेंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) चैनलों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वांछित चैनल, अलाकार्ट फ्री–टू–एयर चैनलों के रूप में अथवा पे–चैनलों अथवा पे–चैनलों के बुके अथवा तत्संबंधी संयोजन के रूप में हो सकता है। यह पसंद पूर्ण रूप से उपभोक्ता पर निर्भर करती है।

  डीपीओ उपभोक्ताओं को अपने विकल्प अपनाने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध करवा रहे हैं। इन पद्धतियों में निम्नवत शामिल हो सकती हैं :

  क. स्थानीय केबल आपरेटर से व्यक्तिगत संपर्क।

  ख. कॉल सेंटर के नम्बर पर कॉलिंग

  ग. मोबाइल का उपयोगः डीपीओ की वेबसाइट अथवा एप के माध्यम से।

- **प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के कार्यान्वयन के संबंध में सेवा प्रदाताओं को निदेश के संबंध में दिनांक 24 जनवरी, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति**

  प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया कि कुछ अफवाहें तथा भ्रामक जानकारी का अभी भी प्रचार किया जा रहा है जिसमें यह प्रचार किया जा रहा है कि उपभोक्ता की पसंद जानने के लिए समयावधि में आगे विस्तार दिए जाने का विचार किया जा रहा है। प्राधिकरण इस बात को दोहराता है कि उपभोक्ताओं की पसंद जानने में आई व्यापक तेजी तथा सभी सेवा प्रदाताओं के आश्वासन के चलने किसी भी प्रकार के समय विस्तार पर विचार किए जाने का कोई कारण नहीं है। ऐसे सब्सक्राइबर, जो विहित समय सीमा के भीतर अपने विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें 01 फरवरी, 2019 से नई प्रणाली में अंतरित कर दिया जाएगा। ऐसे सभी सब्सक्राइबरों से अंतिम समय की प्रतीक्षा न करते हुए तुरंत अपने विकल्प का चयन करने का अनुरोध किया जाता है।

  प्राधिकरण के ध्यान में ऐसी घटनाएं भी लाई गई हैं कि दूर–दराज़ के क्षेत्रों में कुछ मल्टी सिस्टम आपरेटर (एमएसओ) नए विनियामक ढ़ांचे को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं कर रहें हैं। प्राधिकरण इस बात को दोहराता है प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म स्वामी (डीपीओ) तथा प्रसारक को दिनांक 03 जुलाई, 2018 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विनियामक ढ़ांचे को लागू करना चाहिए। प्राधिकरण ने सभी डीपीओ (एमएसओ/डीटीएच/

एचआईटीएस/आईपीटीपी आपरेटरों) तथा इस संबंध में प्रसारकों को आज यानि 24 जनवरी, 2019 से उपयुक्त निदेश जारी किया है।

प्राधिकरण को यह सूचित करते हुए अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि एक डीटीएच (डायरेक्ट–टू–होम) सेवा प्रदाता अपने सब्सक्राइबरों को उनकी पसंद के चैनलों का चयन करने हेतु विकल्प नहीं उपलब्ध करवा रहा है तथा नए ढ़ांचे के कार्यान्वयन के संबंध में भ्रामक जानकारी मुहैया करवा रहा है। प्राधिकरण ने मामले पर कार्यवाही की है। उक्त डीटीएच आपरेटर ने लिखित में आश्वासन दिया है कि वह नए विनियामक ढ़ांचे का अनुपालन करेगा और उपभोक्ता को विकल्प अपनाने के लिए विकल्प उपलब्ध कराएगा। प्राधिकरण सभी सब्सक्राइबरों को आश्वस्त करता है कि नई विनियामक प्रणाली में अंतरण के परिणामस्वरूप टेलीविजन सेवाओं में कोई असुविधा अथवा कोई व्यवधान नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

- **नए विनियामक ढ़ांचे के बारे में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न**

बीएंडसीएस के लिए नए विनियामक ढ़ांचे के बारे में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को अंग्रेजी तथा हिंदी में भादूविप्रा की वेबसाइट https://channeltariff.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। इसे लगातार अद्यतन किया जा रहा है।

- **भादूविप्रा द्वारा टेलीविजन के दर्शकों को दिनांक 01 फरवरी, 2019 से एक नए युग में प्रवेश करवाने के संबंध में दिनांक 31 जनवरी, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति**

प्राधिकरण को एक सब्सक्राइबर द्वारा दूसरे अथवा अतिरिक्त टेलीविजन कनेक्शन के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्राधिकरण यह स्पष्ट करता है कि विनियम में 100 एसडी चैनलों के लिए 130 रुपये की सीमा (अधिकतम सीमा) नेटवर्क क्षमता शुल्क के लिए उपबंध करता है जिसमें अतिरिक्त 25 चैनलों की स्लैब के लिए अधिकतम 20/– रुपये की राशि विहित की गई है। डिस्ट्रीब्यूटर इन अधिकतम सीमाओं के भीतर अपने स्वयं के प्लॉन/प्रशुल्क तैयार कर सकते हैं और विनियम दूसरे/अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए छूट अथवा कम नेटवर्क क्षमता शुल्क की पेशकश करने को प्रतिबंधित नहीं करता है। तथापि, ऐसी छूट विनियम तथा प्रशुल्क आदेश के अनुपालन में संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के लक्षित बाजार क्षेत्र में एक समान होगी।

- **नए प्रशुल्क ढ़ांचे के तहत टेलीविजन चैनलों को चयन करने के साधारण तरीके के संबंध में दिनांक 01 फरवरी, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति**

नई प्रणाली में उपभोक्ताओं के अंतरण को सुलभ तथा सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं को सम्प्रेषण के सभी उपलब्ध चैनलों का उपयोग करने हेतु जानकारी प्रदान करने जैसे कॉल सेंटर, वेबसाइट, वेब पोर्टल, विज्ञापन तथा ई–मेल आदि और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश दिया है। नए ढ़ांचे के तहत, चैनलों का चयन तथा परिणामी व्यय, पूर्ण रूप से उपभोक्ताओं द्वारा अपनाए गए विकल्प पर निर्भर करेगा। कोई भी सब्सक्राइबर नीचे दिए गए सरल कदमों का पालन करते हुए अपनी पसंद के चैनलों का चयन कर सकता है :–

टेलीविजन चैनलों का चयन करने हेतु सरल तरीका

(क) अपने टेलीविजन को स्विच ऑन करें तथा सभी चैनलों को एक के बाद एक देखना आरंभ करें।

(ख) ऐसे चैनलों के नम्बर तथा नाम को नोट करें जो आप नियमित रूप से देखना चाहते हों। आप पाएंगे कि अनेक चैनलों के लिए न कभी आपने कोई अनुरोध किया था न ही कभी आपके द्वारा देखे गए थे। ऐसे चैनलों को अपनी सूची में शामिल नहीं करें।

(ग) चुने हुए चैनलों की सूची अपने सेवा प्रदातओं को उनकी वेबसाइट, एप, कॉल सेंटर का उपयोग करते हुए अथवा केबल आपरेटर के माध्यम से तुरंत आज ही भेजें।

(घ) उपभोक्ता मासिक आधार पर अथवा सब्सक्रिप्शन अवधि के अंत पर किसी भी चैनल को कभी भी जोड़ सकते हैं अथवा किसी भी चैनल को चुने हुए चैनलों की सूची से हटा सकते हैं। यह वांछनीय है कि केवल उन चैनलों

का ही चयन किया जाए जो उपभोक्ता अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा देखे जाते हैं। जब कभी भी उपभोक्ता किसी चैनल को जोड़ना, हटाना अथवा चुने हुए चैनलों की सूची में परिवर्तन करना चाहते हों, तो ऐसा आसानी से किया जा सकता है।

(ङ) टेलीविजन सेवा प्रदाता, पे–चैनलों के मूल्य की जानकारी इलेक्ट्रिानिक प्रोग्राम गाईड (ईपीजी) में दे रहे हैं। नियमों के अनुरूप सभी पे–चैनलों तथा बुके की समेकित जानकारी की टेलीविजन चैनल 999 पर पेशकश की जा रही है।

(च) टेलीविजन सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रिानिक प्रोग्राम गाईड (ईपीजी) पर पे–चैनलों के मूल्य की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। नियमों के अनुरूप, सभी पे–चैनलों तथा बुके की समेकित जानकारी को टेलीविजन चैनल 999 पर प्रदान की जा रही है।

(छ) नए विनियामक ढ़ांचे के तहत, उपभोक्ता अपनी पसंद के टेलीविजन चैनलों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। पुरानी प्रणाली के तहत, उपभोक्ता इसके लिए पूर्णतः सेवा प्रदाता पर निर्भर था।

(ज) नए विनियामक ढ़ांचे में, उपभोक्ता जिसका चयन किया गया है उसे देखेगा तथा उसके द्वारा चुने गए चैनलों का ही भुगतान करेगा।

(झ) नए विनियामक ढ़ांचे में, उपभोक्ता का कुल मासिक बिल उसके नियंत्रणाधीन होगा तथा उसके कम होने की संभावना है।

(ञ) उपभोक्ता वेब पोर्टल channel.trai.gov.in का उपयोग करते हुए चुने हुए चैनलों की अधिकतम भुगतान की जाने वाली राशि की पुष्टि कर सकते हैं।

(त) दिनांक 01 फरवरी, 2019 से पूर्व पुराने विनियामक ढ़ांचे के अनुसार तैयार किए गए चैनलों के सभी बुके नए ढ़ांचे के तहत समाप्त हो जाएंगे। उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चैनलों का चयन करना होगा। नए ढ़ांचे के तहत सेवा प्रदाता द्वारा कोई पुराने पैकेज प्रदान नहीं किए जा सकेंगे।

- **द्वितीय/अतिरिक्त कनेक्शन के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) के अनिवार्य नहीं होने के संबंध में दिनांक 08 फरवरी, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति**

प्राधिकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विनियम, 100 एसडी चैनलों के लिए 130 रुपये की नेटवर्क क्षमता शुल्क की अधिकतम सीमा को विहित करता है जिसमें अतिरिक्त 25 चैनलों की स्लैब के लिए अधिकतम 20/– रुपये की राशि विहित की गई है। विनियम, एक ही स्थान/घर पर दूसरे/अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए छूट अथवा कम नेटवर्क क्षमता शुल्क की पेशकश करने को प्रतिबंधित नहीं करता है। तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि ऐसी छूट, संबंधित टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूटर के लक्षित बाजार क्षेत्र में एक समान होगी तथा डीपीओ (डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म आपरेटर) द्वारा अपनी वेबसाइट पर इसे विधिवत् रूप से घोषित किया जाएगा। इसके अनुपालन में, कुछ सेवा प्रदाताओं ने घरों में दूसरे/अतिरिक्त टेलीविजन कनेक्शन पर नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) पर छूट देने/पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए पेशकश करनी आरंभ कर दी है।

उपभोक्ता को 130 रुपये के नेटवर्क क्षमता शुल्क की अधिकतम सीमा के भीतर अपनी पसंद के 100 स्टैंडर्ड डेफीनिशन (एसडी) चैनलों का चयन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। वांछित चैनल, अलाकार्ट फ्री टू एयर चैनल अथवा पे–चैनल अथवा पे–चैनलों का बुके अथवा तत्संबंधी संयोजन हो सकता है। यह पसंद पूर्ण रूप से उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है।

- **प्रसारण और केबल सेवा हेतु नए विनियामक ढ़ांचे के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 12 फरवरी, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति**

हाल ही में, कुछ ऐसे मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें सब्सक्राइबरों, जिन्होंने इन विकल्पों को नहीं चुना है, उनके पे–चैनल निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ऐसी घटनाओं से उन सब्सक्राइबरों को कठिनाई का सामना करना पड़ता

है। प्राधिकरण समय–समय पर इस बात पर बल देता आ रहा है कि सब्सक्राइबरों को नए ढ़ांचे में अंतरण होने पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

प्राधिकरण ने नोट किया कि यद्यपि नया ढ़ांचा उपभोक्ता के विकल्प को बढ़ावा देता है और इसके तहत सब्सक्राइबरों को केवल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करने में समर्थ बनाता है जिन्हें वे देखना चाहते हैं किंतु 'विकल्प के न चुनने'' से सब्सक्राइबरों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तदनुसार, प्राधिकरण सभी डीपीओ से अनुरोध करता है कि जिन सब्सक्राइबरों ने अभी तक अपना विकल्प नहीं चुना है, वे अपने उन सब्सक्राइबरों के लिए 'सर्वोत्तम प्लान' तैयार करें।

'सर्वोत्तम प्लान' को उपभोक्ताओं के उपयोग पैटर्न और बोली जाने वाली भाषा के आधार पर तैयार किया जाएगा। किसी सब्सक्राइबर के लिए 'सर्वोत्तम प्लान' बनाते समय इसमें प्राथमिक रूप से विभिन्न बोलियों का समिश्रण होना चाहिए, डीपीओ को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 'सर्वोत्तम प्लान' का प्रतिमाह शुल्क सामान्यतया सब्सक्राइबर के मौजूदा प्रतिमाह प्रशुल्क योजना से अधिक नहीं होना चाहिए।

डीपीओ को सब्सक्राइबरों को अपनी पसंद चुनने के लिए विभिन्न उपयोगकर्ता को अनुकूल पद्धतियां उपलब्ध कराना जारी रखना चाहिए। इन तरीकों में स्थानीय केबल आपरेटर द्वारा व्यक्तिगत संपर्क, कॉल सेंटर के नम्बर पर कॉल करना, मोबाइल एप अथवा वेबसाइट का प्रयोग करना शामिल हो सकता है। डीपीओ नए विनियामक ढ़ांचे, इसके लाभ और अपनी पसंद के चैनलों को चुनने के विकल्प के तरीके अपनाने के संबंध में सब्सक्राइबरों में जागरूकता का सृजन भी करना चाहिए।

प्राधिकरण आगे इस बात को दोहराता है कि जिन सब्सक्राइबरों ने दीर्घकालिक पैक लिया है, उनका यह प्लॉन संविदागत अवधि के लिए जारी रहेगा। तथापि, उन्हें इस नए विनियामक ढ़ांचे के तहत अपनी पसंद के चैनलों को चुनने की स्वतंत्रता होती है और यदि वे इस विकल्प को चुनते हैं, तो शेष अवधि के लिए बची हुई राशि को उनके भावी उपयोग के लिए समायोजित किया जाएगा।

व्यापक लोकहित को देखते हुए प्राधिकरण सभी डीपीओ को निर्देश देता है कि जिन सब्सक्राइबरों ने अपने विकल्प नहीं चुने हैं, उन्हें 'सर्वोत्तम प्लॉन' में अंतरित किया जाएगा। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डीपीओ को सब्सक्राइबरों को ऐसे प्लॉन में अंतरित करना अपेक्षित है जिन्होंने यथाशीघ्र 'सर्वोत्तम प्लॉन' का विकल्प नहीं चुना है। जिन सब्सक्राइबरों ने पहले ही अपने विकल्प को चुन लिया है, वे अपने चुने हुए नए प्रशुल्क प्लान को जारी रखेंगे। सब्सक्राइबर दिनांक 31 मार्च, 2019 तक किसी भी समय अपने 'सर्वोत्तम प्लॉन' को बदलकर अपनी पसंद के प्लॉन (पसंदीदा चैनल/बुके) को चुन सकते हैं।

- **हाल ही में, भारत–आस्ट्रेलिया क्रिकेट टी 20/ओडीआई मैच को केबल नेटवर्क पर नहीं प्रसारित किए जाने के संबंध में दिनांक 25 फरवरी, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति**

प्राधिकरण को दिनांक 24 फरवरी, 2019 को मीडिया के कुछ भागों में और कुछ अन्य सोशल प्लेटफार्मों पर परिचालित हो रही रिपोर्टों की ओर ध्यान दिलाया गया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नए विनियामक ढ़ांचे के कार्यान्वयन के कारण भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे हाल के टी20 विश्व क्रिकेट मैचों का केबल नेटवर्क द्वारा प्रसारण नहीं किया जा रहा है।

एतद्द्वारा इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि भादूविप्रा के नए विनियामक ढ़ांचे ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के प्रसारण को किसी भी रूप में बाधित नहीं किया है। उक्त प्रसारण दिनांक 22 अगस्त, 2017 के सिविल अपील संख्या 2017 के 10732–10733 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (भारत संघ बनाम बीसीसीआई एवं अन्य के बीच 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 4574–4575 से उत्पन्न) अभिशासित है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नानुसार निर्देशित किया गयाः–

''इसलिए, हम उपर्युक्त चर्चा के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत विषयवस्तु अधिकार स्वामियों अथवा धारकों से प्रसार भारती को प्राप्त 'लाइव फीड' अपने स्वयं के स्थलज और डीटीएच नेटवर्क पर उक्त सिग्नलों का पुनःप्रसारण का ही उद्देश्य के प्रयोजनार्थ ही हैं और यह केबल आपरेटरों के

लिए नहीं है ताकि केबल टेलीविजन आपरेटर ऐसे उपभोक्ताओं तक पहुंच बना सकें जिन्होंने पहले ही केबल नेटवर्क को सब्सक्राइब किया है।''

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के मद्देनजर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को सभी ओपीओ को डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर राष्ट्रीय महत्व के खेलों के सीधे प्रसारण के दौरान एक कैप्शन दिखाने के लिए कहते हुए एक सूचना जारी की कि ''मैच/गेम को डीडी खेल चैनल, डीडी फ्री डिश और डीडी के स्थलज नेटवर्क पर फ्री–टू–एयर मोड में ही देखा जा सकता है।'' इसलिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म आपरेटर (ओपीओ) को हाल के भारत–आस्ट्रेलिया टी20 अंतर्राष्ट्रीय और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दौरान मैच अवधि में अपने केबल नेटवर्क के लिए डीडी स्पोर्ट्स चैनल को बंद करना पड़ा।

हाल ही में, भारत और आस्ट्रेलिया के बीच के क्रिकेट मैचों (टी20 अंतर्राष्ट्रीय और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय) की केबल नेटवर्क पर अनुपलब्धता या प्रसारण न होना, प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए भादूविप्रा के नए विनियामक ढ़ांचे के कार्यान्वयन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए, प्रेस अथवा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में चल रही अफवाह कि केबल नेटवर्कों में क्रिकेट मैचों के गैर–प्रसारण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिम्मेदार है, यह आधारहीन और गलत है।

- **भादूविप्रा ने ''छोटे एमएसओ के लिए 'नए ढ़ांचे' के लाभ'' के संबंध में दिनांक 23 अप्रैल, 2019 को एक श्वेत पत्र जारी किया**

भादूविप्रा ने दिनांक 23 अप्रैल, 2019 को ''छोटे एमएसओ के लिए 'नए ढ़ांचे' के लाभ'' के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया। संक्षेप में, इस श्वेत पत्र में उन मुद्दों को उद्धृत किया गया है जिनका सामना छोटे एमएसओ ने किया और नए ढ़ांचे के माध्यम से इनका समाधान किया गया। इस श्वेत पत्र का सार निम्नवत हैः–

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने वर्ष 2011 में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल ऐड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) को लागू करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार केबल टेलीविजन अधिनियम, 1995 में संशोधन किया। डीएएस का कार्यान्वयन वर्ष 2012 में आरंभ किया गया और देशभर में मार्च, 2017 तक इसे लागू कर दिया गया है। डीएएस को लागू करने के परिणामस्वरूप हुए प्रौद्योगिकीय विकास से टेलीविजन की विषयवस्तु को लंबी दूरी तक पारेशित करने में सक्षम हो पाए हैं। जिससे डिस्ट्रीब्यूशन में समेकन को बढ़ावा मिला। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी मल्टीसिटी, मल्टी स्टेट मल्टी सिस्टम आपरेटरों (एमएसओ) का आगमन हुआ। बड़े एमएसओ के विकास के पीछे भी वाणिज्यिक कारण थे। प्रसारकों ने परस्पर समझौतों के आधार पर विभिन्न डीपीओ (एमएसओ, डीटीएच, एचआईटीएस अथवा आईपीटीवी आपरेटर) के लिए टेलीविजन चैनल प्रदान किए। बाजार में एमएसओ का आकार सबसे अधिक मायने रखता और बड़े आपरेटर प्रसारकों से बेहतर सौदे पाने में समर्थ रहे।

भादूविप्रा ने उचित परामर्श और विश्लेषण के बाद एक व्यापक विनियामक जीर्णोद्धार कार्य आरंभ किया है और अंतर्संयोजन विनियम 2017, सेवा गुणवत्ता विनियम 2017 और प्रशुल्क आदेश, 2017 को शामिल करते हुए एक नया विनियामक ढ़ांचा अधिसूचित किया है। यह 'नया ढ़ांचा' उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देता है। यह उपभोक्ता को विकल्प उपलब्ध कराता है और उपभोक्ता केवल उस चैनल के लिए भुगतान करता है जिसे उन्होंने देखने के लिए चुना है, जो इस नए ढ़ांचे का आधार है। यह ढ़ांचा प्रकाशित संदर्भ अंतर्संयोजित पेशकश (आरआईओ) के आधार पर गैर–विभेदकारी और पारदर्शी अंतर्संयोजन को विहित करता है। आरआईओ के अतिरिक्त और कोई समझौता निषिद्ध है।

अपने डिजाइन के माध्यम से 'नया ढ़ांचा' विभिन्न आपरेटरों के बीच समान अवसर सृजित करता है। यह ढ़ांचा उन उपबंधों के साथ लघु और मध्यम एमएसओ को लाभ प्रदान करता है जो परिमाणात्मक मानदंडों के आधार पर गैर–विभेदकारी, पारदर्शी नियम व शर्तें, पारदर्शी संवितरण शुल्क और मानक छूट ढ़ांचा विहित करते है। इस 'नए ढ़ांचे' का व्यापक प्रभाव, लघु और मध्यम एमएसओ के लिए बड़ी सकारात्मकता है। ऐसी अनेक खंड हैं, जिन्होंने पिछली व्यवस्था में ऐसे लघु एमएसओ के समक्ष आने वाले मुद्दों का समाधान किया है। यह 'नया ढ़ांचा' समान अवसर को बढ़ावा देता है और सभी प्रकार के हितधारकों को समान अवसर प्रदान करता है। यह विहित समय–सीमा के भीतर टेलीविजन चैनलों को उपलब्ध कराने में निश्चितता प्रदान करता है जिससे कि लघु और मध्यम एमएसओ हेतु अर्थक्षमता सुनिश्चित की जा सकती है।

- **चैनल 999 पर प्रदर्शित की जाने वाली मानक जानकारी और एसएमएस के माध्यम से चैनलों को जोड़ने/हटाने की सुविधा के संबंध में डीपीओ को जारी किया गया दिनांक 07 अक्तूबर, 2019 का पत्र**

  इस पत्र के माध्यम से भादूविप्रा ने टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को चैनल संख्या 999 पर प्रदर्शित की जाने वाली मानक सूचना करने और एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबरों को चैनल जोड़ने या हटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया है। ऐसा उन सब्सक्राइबरों की सुविधा के लिए किया गया जो सूचना प्रौद्योगिकी के अच्छे जानकार नहीं हैं।

- **डीपीओ वेबसाइट और मोबाइल एप के लिए न्यूनतम विशिष्टियों/कार्यमूलकता के संबंध में डीपीओ को भादूविप्रा द्वारा जारी किया गया दिनांक 11 अक्तूबर, 2019 का पत्र**

  इस पत्र के माध्यम से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी डीपीओ को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि उनकी वेबसाइट और मोबाइल एप प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम विशिष्टियों/कार्यमूलकता को पूरा करता है ताकि उपभोक्ता चैनलों और बुके को सहजता पूर्वक चयन कर सके।

- **एपीआई विशिष्टियों के संबंध में डीपीओ को जारी किया गया दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 का भादूविप्रा का पत्र**

  भादूविप्रा ने दिनांक 09 अक्तूबर, 2019 को सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणाली) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानकों को जारी किया। उक्त विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्राधिकरण एपीआई विशिष्टियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसे इन डीपीओ को अलग से संप्रेषित किया जाएगा।

  इस पत्र के माध्यम से, प्राधिकरण ने एपीआई विशिष्टियों को अंतिम रूप दिया और इन डीपीओ को निर्देश दिया कि वे एपीआई विशिष्टियों के दस्तावेज में यथा उल्लेखित 'प्रोडक्शन एपीआई' के यूआरएल को साझा करें।

- **डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा करने के लिए दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को जारी लेखापरीक्षकों का पैनल**

  भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा करने के लिए 14 लेखा परीक्षकों को पैनलबद्ध किया है। इसकी सूची भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- **नई दिल्ली में दिनांक 09 अक्तूबर, 2019 से 11 अक्तूबर, 2019 के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया ''प्रसारण में उभरती अभिवृत्तियां'' संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  आईटीयू और भादूविप्रा ने संयुक्त रूप से ''प्रसारण क्षेत्र में उभरती अभिवृत्तियां'' विषय पर नई दिल्ली में दिनांक 09 से 11 अक्तूबर, 2019 के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। भादूविप्रा ने विभिन्न दूरसंचार विषयों पर पूर्व में कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में आईटीयू के साथ सहयोग किया। तथापि, यह ओटीटी विषय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आईटीयू और भादूविप्रा द्वारा प्रसारण में उभरती प्रवृत्तियों के संबंध में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था।

- **दिनांक 8 नवम्बर, 2019 की दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों की लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका**

  भादूविप्रा ने दिनांक 08 नवम्बर, 2019 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका को जारी किया। यह नियम पुस्तिका बीईसीआईएल की सभी टिप्पणियों, सुझावों तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अंतिम विश्लेषण के संयोजन का परिणाम है। यह लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होगा क्योंकि इसमें सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है। यह नियम पुस्तिका मौजूदा विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का अधिक्रमण नहीं करता है।

VIII. सामान्य प्रशासन से संबंधित मुद्दे

योग दिवस का आयोजन

भादूविप्रा में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। दो योग सत्र, जिसमें प्रत्येक की अवधि एक घंटे की थी, में से एक को दिनांक 20 जून, 2019 तथा दूसरे को दिनांक 21 जून, 2019 को भादूविप्रा के कार्यालय में आयोजित किया गया। योग सत्रों का आयोजन करने के लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से एक योग अनुदेशक की सेवाएं प्राप्त की गई। ''योग तथा आहार'' विषय पर भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भादूविप्रा के अधिकारियों को अपनी दिनचर्या में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, योग टी–शर्ट तथा योग मैट का भी वितरण किया गया।

शहीदी दिवस का आयोजन

दिनांक 30 जनवरी, 2019 को भादूविप्रा के कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे स्वतंत्रता के संग्राम में अपने जीवन की आहूति देने वाले शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया।

भादूविप्रा में सद्भावना दिवस का आयोजन

प्रत्येक वर्ष दिनांक 20 अगस्त को स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर को देशभर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस का उद्देश्य सभी धर्मों, भाषाओं तथा क्षेत्रों के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। सद्भावना दिवस को मनाने के पीछे हिंसा को समाप्त करने तथा लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने का विचार है। इस अवसर को दिनांक 20 अगस्त, 2019 को भादूविप्रा कार्यालय में सद्भावना की शपथ लेकर आयोजित किया गया।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति का आयोजन

संस्कृति मंत्रालय ने दिनांक 02 अक्तूबर, 2018 से 02 अक्तूबर, 2020 तक दो वर्षों की अवधि के लिए महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती को मनाने का निदेश दिया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस अवसर पर एक चिह्न को भी जारी किया गया। भादूविप्रा में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चरणबद्ध तरीके से मनाया जा रहा है, प्रथम चरण के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किए गए चिह्न को भादूविप्रा की वेबसाइट तथा सभी मुद्रित सामग्री/लेखन मदों पर उपयोग हेतु अंगीकार किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

प्रत्येक वर्ष, भादूविप्रा दिनांक 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करता है। इस वर्ष दिनांक 08 मार्च, 2018 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान का आयोजन

भादूविप्रा में दिनांक 11 सितम्बर, 2019 से 02 अक्तूबर, 2019 को ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान आयोजित किया गया था। इस अवधि के दौरान, प्लास्टिक पर जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से भादूविप्रा परिसर के आसपास प्लास्टिक कचरे के संग्रहण हेतु एक ''श्रमदान अभियान'' का आयोजन किया गया था। इस वर्ष के अभियान का विषय ''प्लास्टिक को न कहें'' था, जिसे विभिन्न उपायों को अपनाकर तथा बैनर, जूट बैग एवं टी–शर्ट के माध्यम से जागरूकता का प्रसार किया गया।

राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल यूनिटी डे) का आयोजन

दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर हमें हमारे देश की अंतर्निहित ताकत और आवश्यकता के अनुरूप अपने आपको ढ़ालने के अवसर प्रदान करता है ताकि हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को वास्तविक तथा संभावित खतरों का मुकाबला किया जा सके। इस अवसर पर भादूविप्रा के कार्यालय में एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था।

स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन

वर्ष 2019 में, दिनांक 16 नवम्बर, 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप, स्वच्छता संबंधी क्रियाकलाप जैसे स्वच्छता शपथ, भादूविप्रा के परिसर में स्वच्छता अभियान, दिल्ली नगर निगम के विद्यालय में जागरूकता शिविर तथा व्यक्तिगत स्वच्छता तथा कार्यालय संबंधी स्वच्छता सहित सामान्य स्वच्छता पर व्याख्यान, स्वच्छता पखवाड़े के दौरान आयोजित किए गए।

संविधान दिवस का स्मरणोत्सव

भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की स्मृति में दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को भादूविप्रा में संविधान दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया।

राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित किए गए क्रियाकलापों का ब्योरा

कार्यालय के दैनंदिन कार्य में हिंदी के उपयोग में निरंतर वृद्धि करने के उद्देश्य से पिछले दस वर्षों से भादूविप्रा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''वार्षिक प्रोत्साहन योजना'' नामक एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत, योजनागत अवधि में हिंदी में कार्यालय का कार्य करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय तथा प्रभावी सिद्ध हुई है एवं इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने हेतु कर्मचारीगण अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी से परिचित करवाने एवं अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए तथा टिप्पण और प्रारूपण के कार्य को सरल बनाने हेतु नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, भादूविप्रा में दिनांक 13 फरवरी, 2019, 28 जून, 2019 तथा 12 सितम्बर, 2019 को हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त अनुदेशों के अनुपालन में, भादूविप्रा में दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से 15 सितम्बर, 2019 तक ''हिंदी पखवाड़े'' का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी कहानी लेखन/कथा विस्तार, हिंदी श्रुतलेख तथा सुलेख, हिंदी टिप्पण तथा प्रारूपण, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी निबंध लेखन (हिंदी भाषी तथा अहिंदी भाषी, दोनों के लिए) तथा हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।

वितरण समारोह
दिनांक :16 सितम्बर, 2

वितरण समारोह
दिनांक :16
2019

अनुलग्नक

दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक आयोजित सीओपी की सूची

क्र0सं0	सीओपी के आयोजन का स्थान	दिनांक
1	फरीदाबाद (हरियाणा)	11 जनवरी, 2019
2	चिकोडी (कर्नाटक)	23 जनवरी, 2019
3	प्रतापगढ (राजस्थान)	12 फरवरी, 2019
4	रायचूर (कर्नाटक)	18 फरवरी, 2019
5	मंडी (हिमाचल प्रदेश)	28 फरवरी, 2019
6	नर्मदा (गुजरात)	02 मार्च, 2019
7	कांचीपुरम (तमिलनाडु)	13 मार्च, 2019
8	अनकापल्ली (आंध्र प्रदेश)	14 मार्च, 2019
9	मोइरांग, बिष्णुपुर (मणिपुर)	15 मार्च, 2019
10	काशीपुर (उत्तराखंड)	18 मार्च, 2019
11	रेवाडी (हरियाणा)	18 मार्च, 2019
12	खोवई (त्रिपुरा)	19 मार्च, 2019
13	वारंगल (तेलंगाना)	19 मार्च, 2019
14	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	02 मई, 2019
15	नारनौल (हरियाणा)	09 मई, 2019
16	बरेली, जिला रायसेन (मध्य प्रदेश)	10 मई, 2019
17	डूंगरपुर (राजस्थान)	16 मई, 2019
18	कवार्धा (छत्तीसगढ़)	21 मई, 2019
19	लेह (लद्दाख)	27 मई, 2019
20	नलबाड़ी (असम)	31 मई, 2019
21	पणजी (गोवा)	06 जून, 2019
22	नोंगपोह (मेघालय)	13 जून, 2019
23	फाजिल्का (पंजाब)	14 जून, 2019
24	नलगोंडा (तेलंगाना)	17 जून, 2019
25	हरिद्वार (उत्तराखंड)	20 जून, 2019
26	शिमोगा (कर्नाटक)	21 जून, 2019
27	अहमदाबाद (गुजरात)	22 जून, 2019
28	श्रीकालाहस्ती (आंध्र प्रदेश)	27 जून, 2019
29	हाथरस (उत्तर प्रदेश)	27 जून, 2019
30	गुवाहाटी (असम)	27 जून, 2019
31	बालूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)	16 जुलाई, 2019
32	ओंगोल (आंध्र प्रदेश)	18 जुलाई, 2019
33	दमन (संघ शासित प्रदेश)	24 जुलाई, 2019
34	ओरछा (मध्य प्रदेश)	25 जुलाई, 2019
35	बोंगईगांव (असम)	25 जुलाई, 2019
36	राजौरी (जम्मू और कश्मीर)	29 जुलाई, 2019

37	विजयनगरम (आंध्र प्रदेश)	01 अगस्त, 2019
38	कुन्नूर (तमिलनाडु)	08 अगस्त, 2019
39	दावणागेरे (कर्नाटक)	08 अगस्त, 2019
40	वाशिम (महाराष्ट्र)	21 अगस्त, 2019
41	सिराइकेला (झारखंड)	21 अगस्त, 2019
42	बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)	22 अगस्त, 2019
43	झालावाड (राजस्थान)	28 अगस्त, 2019
44	पुदुचेरी (पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश)	29 अगस्त, 2019
45	जनकपुरी (दिल्ली)	30 अगस्त, 2019
46	मलोट, मुक्तसर सहिब (पंजाब)	04 सितम्बर, 2019
47	मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल)	04 सितम्बर, 2019
48	फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)	05 सितम्बर, 2019
49	तुमकुर (कर्नाटक)	13 सितम्बर, 2019
50	भुवनेश्वर (ओडिशा)	19 सितम्बर, 2019
51	जूनागढ (गुजरात)	20 सितम्बर, 2019
52	सांगा रेड्डी (तेलंगाना राज्य)	26 सितम्बर, 2019
53	कटनी (मध्य प्रदेश)	26 सितम्बर, 2019
54	कोझिकोड (केरल)	26 सितम्बर, 2019
55	कैलाशहर (त्रिपुरा)	22 अक्तूबर, 2019
56	करीमनगर (तेलंगाना)	31 अक्तूबर, 2019
57	कोट्टायम (केरल)	13 नवम्बर, 2019
58	बहराइच (उत्तर प्रदेश)	14 नवम्बर, 2019
59	कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	15 नवम्बर, 2019
60	अलवर (राजस्थान)	18 नवम्बर, 2019
61	रुड़की (उत्तराखंड)	20 नवम्बर, 2019
62	तिरुपति (आंध प्रदेश)	20 नवम्बर, 2019
63	पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)	21 नवम्बर, 2019
64	मलप्पुरम (केरल)	25 नवम्बर, 2019
65	कटिहार (बिहार)	26 नवम्बर, 2019
66	गुड़गांव (हरियाणा)	29 नवम्बर, 2019
67	हसन (कर्नाटक)	02 दिसम्बर, 2019
68	डिब्रूगढ़ (असम)	03 दिसम्बर, 2019
69	मानसा (पंजाब)	04 दिसम्बर, 2019
70	कोलार (कर्नाटक)	04 दिसम्बर, 2019
71	बैकुंठपुर, जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़)	05 दिसम्बर, 2019
72	पालघर (महाराष्ट्र)	12 दिसम्बर, 2019
73	चेंगलपट्टु (तमिलनाडु)	20 दिसम्बर, 2019
74	गीर सोमनाथ (गुजरात)	20 दिसम्बर, 2019
75	हावड़ा (पश्चिम बंगाल)	26 दिसम्बर, 2019

अस्विकृतिः "यह रिपोर्ट मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित रिपोर्ट मान्य होगा।"

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली-110002
टेलिफोन : +91-11-23664147
फेक्स नं० : +91-11-23211046
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in